

दिनांक 02.02.2022 को प्रातः 12:00 बजे ईरुक गति, धू-तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्री मनमोहन गोयल, महापौर, नगर निगम रोहतक की सचिवता ने निम्न की समाचार

- टिकट क आयोगित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-
1. श्री रमेश कुमार सहायता, सदस्य वार्ड न0 01, नगर निगम, रोहतक।
  2. श्रीमती सुमन रानी, सदस्य वार्ड न0-02, नगर निगम, रोहतक।
  3. श्री निमापराज चौहान, सदस्य वार्ड न0-03, नगर निगम, रोहतक।
  4. श्री एमेन गुलिया पापन, सदस्य वार्ड न0-04, नगर निगम, रोहतक।
  5. श्रीमती गोता, सदस्य वार्ड न0-05, नगर निगम, रोहतक।
  6. श्री नुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड न0 06, नगर निगम, रोहतक।
  - श्री मुनिल कुमार, सदस्य वार्ड न0-08, नगर निगम, रोहतक।
  8. श्री जयप्रदान, सदस्य वार्ड न0-09, नगर निगम, रोहतक।
  9. श्री राहुल देशवाल, सदस्य वार्ड न0-10, नगर निगम, रोहतक।
  10. श्री कर्म सिंह अहलावत, सदस्य वार्ड न0-11, नगर निगम, रोहतक।
  11. श्रीमती भरु हुड्डा, सदस्य वार्ड न0-12, नगर निगम, रोहतक।
  12. श्रीमती कवन, सदस्य वार्ड न0-13, नगर निगम, रोहतक।
  13. श्री राधेश्यम, सदस्य वार्ड न0-14, नगर निगम, रोहतक।
  14. श्री गुलशन कुमार ईश्वरपुनियानी, सदस्य वार्ड न0-15, नगर निगम, रोहतक।
  15. श्रीमती हिम्पल, सदस्य वार्ड न0-16, नगर निगम, रोहतक।
  16. श्री गजबल सहायता, वरिष्ठ उपमेयर एवं सदस्य वार्ड न0 17, नगर निगम, रोहतक।
  17. श्रीमती दीपका, सदस्य वार्ड न0-18, नगर निगम, रोहतक।
  18. श्री अर्मन बर्मल, उपमेयर एवं सदस्य वार्ड न0-21, नगर निगम, रोहतक।
  19. श्रीमती मनोष, सदस्य वार्ड न0-22, नगर निगम, रोहतक।
  20. श्री आदश यक्षना, मनोर्ता सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
  21. श्री अर्मन बर्मल, मनोर्ता सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
  22. श्री गणेश मंदो, मनोर्ता सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत किया तत्पश्चात् निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही अमल में लाई गई-

क्र०	एजेंडा	टिप्पणी
सं०		
1.	<p>नगर निगम की दिनांक 15.10.2020 को हुई सदन की बैठक के बिन्दु नं-03 में सोनीपत रोड स्थित नगर निगम की भूमि पर बनाई जाने वाली दुकानों के सख्ती में व बेचने वारे सरकार से पत्राचार करने वारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था।</p> <p>इस सदमें में पुनर महोदय, आयुक्त महोदय व अन्य अधिकारियों द्वारा गहनता से विचार किए रखते हुए तथा नगर निगम को और वित्तीय लाभ कैसे प्राप्त हो एवं नगर निगम का कार्यालय तथा सामुदायिक केन्द्र-कम-मल्टीप्रपज हाल इत्यादि का निर्माण वारे गहन मथन हुआ तथा संशोधित प्रस्ताव निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया जाता है-</p> <p>नगर निगम की कुल भूमि लगभग 9800 वर्गमीटर जोकि खसरा/किला नवरन 11351/11001/8138 मिन एवं 119 मिन कमशा मौजा रोहतक व पाड़ा में स्थित है। जिसमें से लगभग 1665 वर्गमीटर में सामुदायिक केन्द्र-कम-मल्टीप्रपज हाल, लगभग 3500 वर्गमीटर में नगर निगम का वह मंजिला कार्यालय का निर्माण, एवं वार्की बचे रकबे में 76 फीट का सरता (पानी की पाइप लाइन स्थानान्तरित होगी, नगर निगम कार्यालय, सामुदायिक केन्द्र तथा जनस्वास्थ्य अधिकारियों विभाग द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा) व लगभग 4466 वर्गमीटर में से वाणिज्यिक लोज हुए कमशा (लगभग 897.74 वर्गमीटर + लगभग 1027.73 वर्गमीटर + 1340.69 वर्गमीटर .3266.16 वर्गमीटर) में नियमनुसार दुकानों कमशा (12+9+21) 42 दुकानें (विभिन्न साईजों के लाट) लोज पर देने हुए सदन में स्थीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत है। इसमें लगभग 30 करोड़ रुपये लोज राशि आने की समावना है एवं मासिक किराया भी नगर निगम को प्राप्त होगा और सामुदायिक केन्द्र-कम-मल्टीप्रपज हाल बनाने से भी मासिक किराये की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त एक ही एक ही छत के नीचे आमजन के सभी कार्य हो सकें तथा इस क्षेत्र के आस-पास की कालोनियों के वासियों को सामुदायिक केन्द्र की सुविधा भी मिल सकेंगी।</p> <p>सदन में स्थीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए उपमण्डल अधिकारी (नां०) रोहतक की अध्यक्षता में भीमती केचन, सदस्य वार्ड नं०-13, नगर निगम, रोहतक, श्री गणेशयम, सदस्य वार्ड नं०-14, नगर निगम, रोहतक व श्रीमती मुकुता, सदस्य वार्ड नं०-19 की कमटी गहित की गई।</p> <p>भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।</p>
2.	<p>रोहतक-गोहाना ट्रैक पर बनाये गये एलिवेइट रेलवे ट्रैक के पास सड़क के मार्ग में आये मकानों/दुकानों को PGIMS रोहतक व उत्तर हरियाणा जिजली वितरण निगम की गांम पर पुनर्वासित करने हेतु।</p>	<p>सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए उपमण्डल अधिकारी (नां०) रोहतक की अध्यक्षता में श्रीमती केचन, सदस्य वार्ड नं०-13, नगर निगम, रोहतक, श्री गणेशयम, सदस्य वार्ड नं०-14, नगर निगम, रोहतक व श्रीमती मुकुता, सदस्य वार्ड नं०-19 की कमटी गहित की गई।</p>

इस द्वारे आयुर्जन नगर निगम रोहतक के आदेश पत्र क्रमांक CMC/MCR/2020/5524-29

दिनांक ०१.१२.२०२० के द्वारा गठित कमेटी द्वारा रेट आवटन की प्रक्रिया के बाद अधिकृत ग्रुप्पडो / दुकानों / मकानों के स्थान पर दुकानों के आवटन की प्रक्रिया की समझा की गई। समिति द्वारा पास गया कि दुकान नं ०१३६ से ०१५१ जो कि लिली रोड के पास है और अधिक मूल्य वाली सम्पत्तिया (Prime Properties) है। इस सम्पत्तियों का केवल एक हिस्सा ऑधिग्रहण किया जाना है जोकि इस सम्पत्तियों के पूर्ण निर्मित ढांचे को क्षति पहुंचायेगा। समिति द्वारा उक्त सम्पत्तियों के मालिकों के साथ विचार विमर्श के बाद कहा गया कि इन सम्पत्तियों के मालिक सड़क निमाण के लिए जमीन देने के लिए तैयार यदि उन्हें दुकानों के आवटन प्रक्रया में सामने की दुकानों में वरीयता दी जाती है। अत समिति का चिचार है कि इन सम्पत्तियों के मालिकों की दुकाने परित्यंत नं ०१२.३.४.५.६.७.३५.३६.३७.३८.३९.४०. ४१.४२.४३.४४.४५.४६ नहीं हैं, आवटन की जा सकती है। समिति द्वारा यह मी स्पष्ट किया गया कि जपरोक्त दुकानों की कीमत/मूल्य अन्य सभी दुकानों से १० प्रतिशत अधिक है। दुकान/मकान/प्लाट आवटन के लिए कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

३. पर्यादे द्वारा निर्धारित अनुरोध पर ऐलिवेट ट्रैक के साथ बनने वाली मुख्य सड़क वारे निमानुसार प्रत्याव है:-  
निगम, गोहतक, शेष में अर्जन नगर, ज्याहर नगर, श्रीनगर, विन्योट कलोनी, गीता कलोनी के पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के संहिता से ऐलिवेट ट्रैक के निर्माण किया है। हीरिया इस निर्माण के कारण उपरिकृत कई गोलीनियों का मुख्य सड़क से आवगमन का गत्ता रुक्ख गया है। हीरिया सरकार ने भारत २०१९ में इस ऐलिवेट लेले ट्रैक के साथ १५ मूट चौड़ी सड़क बजाय भवन विली रोड से ड्वेल फाटक तक बनाने की स्वीकृति देते हुए इस सड़क के निर्माण में आने वाले Rightful Title Holder दुकान/मकान/प्लाट धारकों को पुनर्वास करने के लिए माफिन्ट रेट पर इनकी जाह व निमाप की लागत का अदव्यार्थी करने व जरूर हीरिया विजली वितरण निगम की जाह पर वाणिज्यिक दुकान व पी.जी.आई.एम.एस की विन्योट कलोनी में स्थित जगह पर ज्यात मार्किट रेट पर देने के लिए पत्र क्रमांक १८/२४/२०१९-३८ दिनांक ०८.०३.२०१९ आंशिक दिया। जरूर हीरिया विजली वितरण निगम की जाह पर जो दुकान इन लोगों को अब नगर निगम द्वारा दी जा रही है वह इस के प्रयोग के अधिकार के साथ दी जाती है। जबकि भारत २०१९ में देश के अधिकार के साथ दी जानी थी। नगर निगम को इन जगहों को खरीदने व मुआद्यों के लिए मू. २९.६६ करोड़ रुपए का क्रप्ता दिया गया जबकि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार य हीरिया नगरकार का जननित में प्रोजेक्ट था तथा इस सड़क के निर्माण में Rightful Title Holder को विधायित किया जा रहा है। अत इन विधायित परिवर्ती को पुन बासने के लिए सरकार से अनुरोध है कि- १ नगर निगम गोहतक को जो मू. २९.६६ करोड़ रुपए का क्रप्ता देकर अनावश्यक वित्तीय भार डला गया है इस क्रप्ता को अनुदान दिया जावेगा। २ इन विधायित परिवर्ती को जो निगम द्वारा विजली वितरण निगम की जाह नगर निगम रोहतक ने वर्धादक डबल स्ट्रीट दुकानों का निर्माण किया, जिसमें से मू-न्तल की दुकानें इन विधायित परिवर्ती

सदन में सार्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा नीचे वाले दुकानदारों को उसी के उपर की दुकानों की खरीद हेतु वरियता दी जाने निर्णय लिया गया।  
मू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्खाई की जानी है।

3

<p>को इन उम्मानों की वासाधेक लागत तथा उम्मो ने प्रथम तल की दुःखानों कर अनुग्रहित कीपत घटाने के परचात वासाधेक लगत मे से जो राशि चरती है उस राशि को प्रति वर्षां यणा करके उम्म ऐर ओवेटर की जार न्योकि ये विस्थापित परिवार तीन वर्ष मे अप्ना रोजगार नही कर पाते हैं तथा अपनी जाह ड्राइवर दूसरी जाह पर स्थापित होने।</p> <p>३ इसी प्रकार चिन्होट कॉलोनी मे जो लाट दिए जाने हैं उसकी वासाधेक कीपत वर्षां इसे विकसित करने पर होने वाल खर्च को जोड़कर प्रति वर्षां कीपत निकालकर रिहायशी मकान/लाट धारको को दिया जाना चाहिए।</p> <p>४ जो भूमि मालिक मुआवजा लेकर दुकान या लाट नही लेना चाहते उन्हे मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्हें मुआवजा सरवार द्वारा बहन किया जाना चाहिए।</p>
<p>५ Transfer the possession of all roads, open spaces, public parks and public health services after completing development works as per approved service plans estimates in the residential plotted colony known as Omaxe City Rohtak situated in sector 26 &amp; 28 Rohtak, Haryana development under Licence निवेशक, नगर एवं योजनाकार विभाग के पूरो उम्माक LC-704/JE(MK)/2021/1014-22 दिनांक 15-01-2021 द्वारा ओमेस्स निवेशक सेक्टर 26 व 28 को नगर निगम को स्थानांतरित करने के निर्देश द्वारा हुए थे। सरकार से प्राप्त आदेशों की पालना मे आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा वरिष्ठ नगर योजनाकार, नगर एवं चॉन्जनाकार निम्ना की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया गया था दिनांक 04.08.2021 को उक्त कमेटी की बैठक मे यह निर्णय लिया गया था कि ओमेस्स सिटी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को विद्यार्थित करने के लिए DPR तैयार करवाने हेतु एक Consultant लाया जाना आवश्यक है। अतः ओमेस्स सिटी को नगर निगम के अधीन लेने व उक्त प्रक्रिया को विद्यार्थित करने के लिए DPR तैयार करवाने हेतु एक Consultant लाने वारे सदन मे विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>
<p>५ महापौर महादेव द्वारा श्रीमती संगीता जिन्दल, जिन्दल फाउंडेशन मुख्य के साथ सम्पर्क किया गया आर गोहतक ग्रहर को मुन्दर बनाने के लिए शहर मे २ पक्कों का विकास और रख-खाय का CSR अनुदान के तहत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। CSR अनुदान के लिए जिन्दल फाउंडेशन मुख्य और नगर निगम रोहतक के बीच एक MOU करवाने की आवश्यकता है। अतः रोहतक शहर की मुन्दरता एवं जनसुविधाओं मे बढ़ोतरी हेतु नगर निगम रोहतक और जिन्दल फाउंडेशन मुख्य के बीच MOU करवाने की स्वीकृति हेतु सदन मे विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

<p><b>6.</b> महापार मोहेत्य द्वारा APCPL Co. शाडी के साथ सम्पर्क किया गया और गोहत्रक शहर को सुदूर बगाने के लिए ऑफिल की गई जिस पर कम्पनी के CEO ने CSR अनुदान के नहत ट्रॉ-गार्ड, बैच और कृषेदान सेंसे के लिए स्वीकृति प्रदान की है। CSR अनुदान के लिए कम्पनी और नगर निगम गोहतक के बीच एक MOU करवाने की अवश्यकता है जिसमें कम्पनी 31.03.2022 तक के CSR अनुदान में उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवा सकेंगी। अतः नगर निगम गोहतक और कम्पनी के बीच MOU लो चुका है इसकी पठनात्मक स्वीकृति हेतु सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>
<p><b>7.</b> मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आगे बढ़ाई युग्मी सभ्यता मण्डी गोड पर तापमानी की 108 दुकानों/स्टॉलों को CM Announcement Code के तहत पांच लाख्या जाना है जो कुड़ा विभाग की जमीन है, उड़ान विभाग से इस जमीन को 49182 रुपए प्रति वर्गमील के तापमानी में नियम ने लिया है। अब मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योग्या योग्या ने तहत उन 108 दुकानों/स्टॉलों के क्रियान्वयन को यातिहासिक एक दिया जाना है, तोक मोक्ष का क्षेत्रमा रेट 26,000/रुपए प्रति वर्गमील होगा जिसमें 45 प्रतिशत की छूट दी जानी है। एक उपरान्त यह रेट 14,300 रुपए प्रति वर्गमील होगा। इन दुकानदारों से जोड़ेवाले रेट लिया जाना है या उड़ान विभाग ने तो रेट नियम ने दिया है कह लिया जाना है सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>
<p><b>8.</b> शहर के 06 वाड़ों की सफाई का कारों ठेके पर देने वारे।</p>
<p><b>9.</b> सभी वाड़ों में जी0टी० के उपर लगी हुई लोहे की जाली (जो ०) गोरी हो गई है या दूर्घटनाक होई हो) को सीमेट या पथर की जाली से बदलने वारे।</p>
<p><b>10.</b> सभी वाड़ों में मौजूदगाँव के बाहर कारों ठेके पर देने वारे।</p>

सर्वसम्मति से स्पीकर तिर्यक सम्मिलित से नियम लिया गया कि वर्तमान में जो भी दुकानदार जिसने एरिया में वर्तमान में ऐसा हूआ है, उनको पांच लाख्या देने के दौरान उनमी ही जगह को स्वामित्व योजना के तहत रेट 14,300 रुपए प्रति वर्गमील के हिसाब से दी जायेगी या उनको दी जाने वाली अतिरिक्त जगह के रेट हरियाणा राजसी विकास प्राधिकरण से लिए गए युला पर (49,182 रुपए प्रति वर्गमील) लिए जायें।

**भू-अधिकारी, नगर निगम गोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।**

इस वारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से नियम लिया गया कि वर्तमान में जो भी दुकानदार जिसने एरिया में वर्तमान में ऐसा हूआ है, उनको पांच लाख्या देने के दौरान उनमी ही जगह को स्वामित्व योजना के तहत रेट 14,300 रुपए प्रति वर्गमील के हिसाब से दी जायेगी या उनको दी जाने वाली अतिरिक्त जगह के रेट हरियाणा राजसी विकास प्राधिकरण से लिए गए युला पर (49,182 रुपए प्रति वर्गमील) लिए जायें।

**सर्वसम्मति से स्पीकर करते हुए नियम लिया गया कि वर्तमान में कार्रवाई सफाई कर्मचारियों की सहाया व शोब्र का अपवाहन करने के बाद शेष शोब्र के लिए शेषर**

**कार्रवाकारी अभियान, नगर निगम गोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।**  
अमृता योजना कार्यक्रम द्वारा एजेन्सी के प्रबन्धन से जो कार्रवाकारवाया पर्याय है और उस दोसरी जालिया या सांडके द्वारी है उन्हें एजेन्सी के प्रबन्धन से जाल दी जाता है जो कार्रवाकार जाया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गए हैं कि नगर निगम शोब्र के अंतिम अन्त वाले गाजा के मैन रास्तों पर शोब्र की पुष्टि संभवों पर लोहे की जाली तथा छोटी-2 गलियों में सीमेट की जाली लगाने वारे नियम दिया गया।

**कार्रवाकारी अभियान, नगर निगम गोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।**  
इस वारे महापार मौजूदगाँव द्वारा अवधारणा गया कि नगर निगम, रोहतक द्वारा मैन होल में जाल लगाने से साझेज अदि में दिवाल आती है जिससे मैन हैल वारे होते हैं इसलिए जनस्वास्थ्य अभियानिकी विभाग द्वारा इस कार्रवाई का अनुमान

		तैयार किया जायेगा तथा इसकी अवधारणा नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।
11.	सभी बालों द्वारा मुख्य सड़कों पर लगी हुई सफेद लाइन में चाहने खड़े करने के लिए पांकिया जा देका देने वारे।	अधिक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
12.	शहर की सुरक्षा के लिए 180 सीओसीटी०१०० केर्मरे लगाने हेतु सरकार को प्रस्तावना यह स्वीकृति के लिए भेजने वारे।	सरकारी संस्थानों से निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा के अंतर्गत आने वाली मुख्य सड़कों पर सफेद पट्टी के लिए 4 लाख रुपये व नो पार्किंग के बोर्ड व आठों स्टोपेज के बोर्ड लगाने हेतु 1 लाख रुपये का खर्च नगर निगम द्वारा बहन किया जायेगा तथा इस कार्य को पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा परन्तु किसी को ठेका नहीं दिया जायेगा।
13.	नगर निगम, रोहतक में चल रहे सभी प्रकार के रेके बिना स्कीफ्रिटि के आगे न बढ़ाये जाए। सभी प्रकार के रेके की परिपक्वता तिथि (Maturity Date) से 3 माह पूर्व ही सदब्धित कार्य के नए ठेके की आनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम, रोहतक में चल रहे सभी प्रकार के रेके अपरिहर्य प्रशासनिक परिस्थितियों को छोड़कर आगे न बढ़ाए जाये।
14.	सभी बालों में सड़कों के गड्ढों को भरने के साथ-2 पेच मी लगाए जाये। (मुख्य सड़कों)	सर्वसम्मति से स्कीफ्रिट करने हेतु निर्णय लिया गया कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों की सुरक्षत रिपेपरिंग के कार्यों के तहत कार्रवाई की जायें।
15.	Installation, maintenance & operation of Bus Que Shelters on PPP mode for 20 years.	कार्रकारी अभियन्ता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
16.	मुनाफ़िया कला में गौशाला के लिए जगह उपलब्ध करवाने वारे- हिनांक 10.12.2021 को मानीय मेयर साहब नार निगम, रोहतक की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ था। जिसमें आयुक्त महोदय, मु-अधिकारी, तहसीदालार नगर निगम, रोहतक एवं शहर के चुनिया कारबल्टी व समाजसेवियों ने भाग लिया था। माननीय मेयर साहब द्वारा मुनाफ़िया कला में उपलब्ध नार निगम की जमीन में से किला नो 6/16, 25/५, 6, 15 मिम, 25 मिन पर सामाजिक सत्याओं को गौशाला बनाने हेतु नियम, रोहतक की मतलबियत की सभी जमीनों की पहचान कर, केवल मुख्त करवाने के लिए नियमानुसार कारबाही अपने से लाई जाये।	सर्वसम्मति से स्कीफ्रिट किया गया।
17.	नार निगम, रोहतक की मुमि की पहचान करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ़ की आवश्यकता-समय-समय पर अधिकारीगण के नोटिसों में आग्रा रहता है कि गांव में या किसी अन्य	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो भी स्टाफ़ कारबाही उन्हीं की सहायता से ही कार्य करवाये जाये तथा वर्तमान अतिरिक्त स्टाफ़ की नियुक्ति न की

✓

जगह नगर निगम की जमीन उपलब्ध है। परन्तु स्टाफ की कमी के कारण उचित समय कम्बजे होने की सूरत में अखबारों की मुद्रित्यां बनती आ रही है। अतः नगर निगम, रोहतक बैंच में उपलब्ध नगर निगम की जमीनों पर अधिक होने की सूरत में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति काम के आधार पर करने वारे प्रस्ताव सदन की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

18. रोहतक द्वारा में नगर निगम की सीमा के अन्दर जाट कॉलेज के आगे व आईटीआई कॉलेज के आगे दो फुटओवर ब्रिज BOT Basis पर बनवाने वारे सदन में विचारण प्रस्तुत है।

19. नगर निगम द्वारा संचालित दस कम्युनाइट सेटरों को 2+3=5 वर्षों के लिए लीज पर ईंडर के जरिए देने चाहे। किराया हर वर्ष 10% Increase होगा। कर्वे सतोषजनक होने उपरांत ही दो वर्षों बाद आगामी तीन वर्षों के लिए ईंडर अधिक बढ़ाइ जाएगी।

20. नगर निगम सीमा के अन्दर रेस्ट हाउस चौक, सोनीपत रैण्ड, अशोका चौक, मैडिकल मोड व गाँव गांधी चौक पर M/s Brand Promotors द्वारा PPP Mode पर पांच पुलिस बैट चाक्स बनवाए गये हैं जिनके साईंज सवाईत कपड़ी द्वारा नगर निगम से स्थीरति नहीं ही गई है। अब सवाईत कंपनी द्वारा पांचों बीट चाक्स की NOC के लिए आवेदन किया है। NOC की स्वीकृति देने के लिए प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है।

21. निलयार लिंक इंज आबादी के बीच आ गई है। इसकी मतलबित द्रांसफर वारे सिचाई विभाग औधिकारियों के साथ वातचीत द्वारा। वातचीत के आधार पर सिचाई विभाग इसकी तम्बाई चौड़ाई व ग्रजस्ट विभाग के स्किओर्ड अनुसार इसका बोत्रफल उत्तम करवाएगा तथा इस इंज के परिए को पूर्णतः कब्जा मुक्त करके विना किसी लागत के ग्रजस्ट विभाग में मतलबित नगर निगम को देता है तो नगर निगम निलयार लिंक इंज को बोक्स टाइप बनाकर इस बैंच के लोगों के अवागमन के लिए गस्ते के रूप में तैयार कर सकता है यह प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

जायें।  
मू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।  
मू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा संचालित कम्युनाइट सेटरों का पिछ्ले एक साल का रिकार्ड आगामी बैठक में स्था जायें। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम बैंच में बने पांचों बीट चाक्सों का किराया बढ़ाया जाये व इसकी समयावधि 5 वर्ष निर्धारित की जायें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि और नए बीट चाक्स न बनाये जाये।  
मू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

वार्ड नं० १

22. वार्ड नं० १ मिवानों चुंगो से हिसार गड़ तक सीवर की चड़ी लाइन डाली जाए।

इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्थास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।  
अधीक्षण अभियंता जनस्थास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

२२	मुख्यमान भिरातुरा गेह एवं पार औ इच्छावृद्धि विभाग गोड यना गता है उसमें हर गती के सामने गोड पार के पार चलाया जाए ताकि बरसाती पानी निपल सके।	२३	मुख्यमान भिरातुरा गेह एवं पार औ इच्छावृद्धि विभाग गोड यना गता है उसमें हर गती के सामने गोड पार के पार चलाया जाए ताकि बरसाती पानी निपल सके।
२४	भिरातुरा गेह एवं पार औ इच्छावृद्धि विभाग ने ताजत लाइन डाली गई है उसको सूर्यनगर की हर गती से जोड़ा जाना ये नार्दास घाट की जगह।	२५	भिरातुरा गेह एवं पार औ इच्छावृद्धि विभाग ने मदन को अवगत करवाया लिंग मूर्ति नगर औं नार्दास जाना ये नार्दास घाट की जगह।
२६	दाहें न००१ से लिंगमें लाइन डाली गई है वह बन्द पड़ी गहरी है उसको चालू किया जाए।	२७	दाहें न००१ से लिंगमें लाइन डाली गई है उहै उहै चताया जाए कि किस स्तर पर है और उभकी जानी है।
२८.	आहं ऊं मी दृष्टर चालू किया जाए।	२९	आहं ऊं मी दृष्टर चालू किया जाए।
३०	दाहें न००१ से लिंगमें लाइन डाली गई है उहै उहै चताया जाए कि किस स्तर पर है और उभकी जानी है।	३१	दाहें न००१ से लिंगमें लाइन डाली गई है उहै उहै चताया जाए कि किस स्तर पर है और उभकी जानी है।
वार्ड नं० २			
३१	दिनांक १८.०२.२०२० को हाइस की मिटिंग में कुट्ट आश्रम संजय कालोनी में रेडक्स की जमीन पर समुदायिक कंडू चनाने के लिए एन०ओ००००० के लिये ऐडक्स विभाग को पत्र लिखा गया था। चताया गांग आगे करा कोर्सवाह दुर्दृश्य।	३२	दिनांक १८.०२.२०२० को मिटिंग में नहरु कालोनी में नगर निगम की जमीन पर बने इस वारे मूर्ति अधिकारी द्वारा सदन को अपवाह करवाया गया कि सामूदायिक केंद्र

		सामुदायिक केन्द्र (अन्वेषकर भवन) को नगर निगम ने आपने हाथों में लेना था और चार्ज 21000 से घटाकर 11000 रुपये करवाया था। बताया जाये एक साल में क्या कारबाई हुई	(अन्वेषकर भवन) में कार्यक्रम चार्ज दिनाक 01.01.2022 से ही 21000 से घटाकर 11000 रुपये करवाया जा चुका हैं तथा इस बारे सस्था द्वारा लिखित में भी दिया गया है जिसकी प्रति सम्बन्धित पार्षद को मौके पर उपलब्ध करवा दी गई।
33.	वार्ड न0 2 में सुअरो के द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने व कालोनियों में सुअरों द्वारा गन्दी पैलाने के विवाहित दिनाक 18.02.2020 को निर्माण में मुद्रा उठाया गया था। अब तक क्या कारबाई हुई बताया जाये और टैक्टर लगाकर सुअरों को पकड़कर बोले लाइ जाये।	इस बारे मुख्य सफाई नियंत्रक द्वारा अवगत करवाया गया कि वार्ड न0 02 में मुआर पकड़वाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।	
34.	दिनाक 18.02.2020 को हाऊस की निर्माण में नेहल कालोनी, मुल के नीचे शिव कालोनी व हुमान चाटिका गोकर्ण तलाव पर जिम लगाना था इसके बारे बताया जाये क्या कारबाई हुई।	मुख्य सफाई नियंत्रक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।	
35.	दिनाक 18.02.2020 को जाऊस की निर्माण में कोर्ट के सामने बने गोल चक का नाम महत्वा ज्योतिवा पैलो के नाम से रखने के बारे कहा था बताया जाये क्या कारबाई हुई।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।	
36.	दिनाक 10.09.2019 की हाऊस की निर्माण में नेहल कालोनी में नार निगम की जमीन पर समुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाने हेतु लिखा था जो दिनाक 01.01.2020 को MCR/EE/2020/5890 को 49.99 लाख रु के फ़छ के लिये भेजा गया था। सदन में बताया जाये अब तक क्या कारबाई हुई और निर्माण करवा तक होगा या नहीं।	मू-आधिकारी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सुखपुरा चौक लाइट सेंड पर बने सामने बने गोल चक का नाम महत्वा ज्योतिवा पैलो रखा जा चुका है, इसलिए कोर्ट के सामने बने गोल चक का नाम महत्वा ज्योतिवा पैलो रखा जा सकता।	
37.	नेहल कालोनी में पानी के वृहस्पति बढ़ने के लिये कई बार लिखा जा चुका है। हर बार आश्वासन मिलता है बनाकर पानी की सलाई बढ़ने के लिये कई बार लिखा जा चुका है। हर बार आश्वासन मिलता है लोकन्त 02 साल में अभी तक कोई कारबाई नहीं हुई गर्मी के मौसम में पानी की भारी किलता हो जाती है बताया जाये काम होगा या नहीं।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।	
38.	वार्ड न0 2 में कम से कम 200 लाइट लगावाई जाये।	इस बारे अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।	
39.	वार्ड न0 2 में आज तक तिर्फ 15 वेंच रखे गये हैं जबकि दूसरे बार्डों में सैकड़ों वेच रखे जा चुके हैं। सभी बार्डों में एक समान काम होने चाहिये, ऐसेभाव नहीं।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।	
40.	वार्ड न0 2 में वार्ड की कालोनियों में स्पीड ब्रेकर लगाये जाये जो कम से कम 30-40 वनते हो।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।	
		न्यायालय के आदेशानुसार स्पीड ब्रेकर लगाये जाने संभव नहीं हैं। सभी पार्वदगांगों को	

		आदेशों की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है।														
41	मेरे बाहे न0 2 में जनवरी 2019 से अद्यतक वित्तना कार्य हुआ है और स्था-2 कार्य हुआ है? चाताया जाएः	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक नो कार्यों की सूचि प्रतिक्रिया पार्सर को उपलब्ध करवाने वारे निर्देश दिये गये।														
42	दो नाल पर्यावरण मुख्यमंत्री जी ने शुगरमील के मैदान की ऐली में कलानीर हल्के के 5 वार्डों में 75 लाख खर्च होने थे बताया जाने कहों लावाने गये और क्या-2 काम हुये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक ब्राता कार्वाई की जानी है। इस CM Announce Code No. 24986 हिनांक 19.02.2019 में कलानीर हल्के के लिए 5 करोड़ की घोषणा हुई थी, ना कि वार्ड वार्ड जार्य करवाने जाने थे। जिनकी सूचि निम्नप्रकार है:-														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Development works of Rs. 5.00 Crore for Rohtak Ward no. 1 to 6 (announcement code 24986 dt. 19.02.2019)</th> <th>500.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Const. of C.C. Street near Shiv Mandir in Sunarian, Ward No.22, Rohtak</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Const. of Library Hall at Sunaria, Ward No.22, Rohtak.</td> <td>99.90</td> </tr> <tr> <td>Construction and development of Park Mundpala Johad Near Shamsghan Ghat, Sunaria, Ward No. 22, Rohtak.</td> <td>90.89</td> </tr> <tr> <td>Const. of Community Centre at Village Sunaria Near Shiv Mandir, Ward No. 22, Rohtak.</td> <td>72.30</td> </tr> <tr> <td>Const. of C.C. Street Deepu WaliGali, Tomer, Satbir Hooda Wali Gali and Mahabir Ahlawat Wali Gali in Kailash Colony, Ward No. 5, Rohtak.</td> <td>96.83</td> </tr> <tr> <td>Providing and Laying of Mastic Layer from Asnoka chowk to old ITI fly over in Ward No. 11, Rohtak.</td> <td>72.23</td> </tr> </tbody> </table>	Development works of Rs. 5.00 Crore for Rohtak Ward no. 1 to 6 (announcement code 24986 dt. 19.02.2019)	500.00	Const. of C.C. Street near Shiv Mandir in Sunarian, Ward No.22, Rohtak	60.00	Const. of Library Hall at Sunaria, Ward No.22, Rohtak.	99.90	Construction and development of Park Mundpala Johad Near Shamsghan Ghat, Sunaria, Ward No. 22, Rohtak.	90.89	Const. of Community Centre at Village Sunaria Near Shiv Mandir, Ward No. 22, Rohtak.	72.30	Const. of C.C. Street Deepu WaliGali, Tomer, Satbir Hooda Wali Gali and Mahabir Ahlawat Wali Gali in Kailash Colony, Ward No. 5, Rohtak.	96.83	Providing and Laying of Mastic Layer from Asnoka chowk to old ITI fly over in Ward No. 11, Rohtak.	72.23
Development works of Rs. 5.00 Crore for Rohtak Ward no. 1 to 6 (announcement code 24986 dt. 19.02.2019)	500.00															
Const. of C.C. Street near Shiv Mandir in Sunarian, Ward No.22, Rohtak	60.00															
Const. of Library Hall at Sunaria, Ward No.22, Rohtak.	99.90															
Construction and development of Park Mundpala Johad Near Shamsghan Ghat, Sunaria, Ward No. 22, Rohtak.	90.89															
Const. of Community Centre at Village Sunaria Near Shiv Mandir, Ward No. 22, Rohtak.	72.30															
Const. of C.C. Street Deepu WaliGali, Tomer, Satbir Hooda Wali Gali and Mahabir Ahlawat Wali Gali in Kailash Colony, Ward No. 5, Rohtak.	96.83															
Providing and Laying of Mastic Layer from Asnoka chowk to old ITI fly over in Ward No. 11, Rohtak.	72.23															
43.	हमारे द्वारा दो साल से लगातार नेहरू कालोनी, रघु नगर के सीधरों की सफाई के लिए गुहार लगाई जा रही है। आर्टिकल सफाई क्षेत्र नहीं करवाई जा रही।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्वाई करने के निर्देश दिये गये।														

		अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
44.	लाउन मीटिंग 18.02.2020 में उम स 25 पर शिव कालोनी में शामलात जाह का ब्लौर माणा गया था। इस पर क्या कार्रवाई हुई।	इस बारे पूर्ण अधिकारी द्वारा सदन में अवगत करवाया गया कि शिव कालोनी में शामलात देह व हेर मपडलिया की कोई भी शूमि उपलब्ध नहीं है।
45.	हम पिछले 15 नाल से सुन रहे हैं कि बोहर के पास एक टैक और बन रहा है जिससे पानी की सफाई दृट जापेंगी बताया जाये कब तक सफाई बढ़ेंगी या नहीं।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नार निगम रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
46.	द्वारसाल के दिनों में पूरी नेहरू कालोनी व जीन्ड्र रोड पर 2 से 2.5 फुट पानी भर जाता है। इसका कोई हाल नहीं किया गया। पूर्व में भी लिखकर दिया जा चुका है। सरकार द्वारा काटी गई कालोनी का इतना दुगा हाल है। लोग इकट्ठे होकर जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जनहित याचिक (कोट में) डाल रहे हैं। इसकी जवाबदेही जनस्वास्थ्य विभाग की होगी।	कार्यकारी अभियंता नार निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
47.	वार्ड नं 02 की संजय कालोनी जो अपूर्वदृढ़ी जनस्वास्थ्य विभाग की होगी।	इस बारे सहायक नार योजनाकार नार निगम रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिये।
<b>वार्ड नं 03</b>		इस बारे सहायक नार योजनाकार नार निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
48.	वार्ड नं 03 में गढ़ी मोहल्ला पार्श्व बोर्ड से लेकर हिसार रोड कारखाना तक पानी की लाईन व सीपर की लाईन छोटी है। उसको बड़ा किया जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
49.	कृष्णा कालोनी में पानी व सीपर की लाईन छोटी है जिसके कारण सीपर ऑवरफ्लो होकर गच्छ पानी बाहर आता है और कालोनी में पीने का पानी भी नहीं आता है। इसलिए पीने के पानी व सीपर की नई लाईन डलवाई जाए।	अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
50.	कर्ची गढ़ी कुआ मोहल्ला में सीपर की लाईन 8 इंची दर्ती हुई है जो हर रोज बन्द रहती है जिसके कारण गच्छ गलियों में बहता रहता है। इस कालोनी में सीपर लाईन लोड के हिसाब से दबाई जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
51.	वार्ड नं 03 में सफाई कर्मचारियों की सख्ता कम होने के कारण टीक ढंग से बाई में सफाई नहीं हो पानी इसलिए वार्ड 03 में सफाई कर्मचारियों की सख्ता बढ़ाई जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
52.	वार्ड नं 03 में 100 दैवों की आवश्यकता है।	मुख्य सफाई निरीक्षक नार निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
53. वार्ड नं 03 में कम से कम 250 स्ट्रीट लाइटों की जलत है कृष्णा करके स्ट्रीट लाइट लाइट।		इस बारे कार्यकारी अभियंता नार निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि निवेशालय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये ईडर घोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्थिकता उत्तरात

54.	वार्ड न 03 में पुराने वस स्टेण्ड के पास बैन गेट का नाम भावान वालिमकी के नाम पर रखने वार्ड सचिवमें भिजवाने से निर्देश दिये गये।	वार्ड न 03 में पुराने वस स्टेण्ड के पास बैन गेट का नाम भावान वालिमकी के नाम पर रखने वार्ड सचिवमें भिजवाने से निर्देश दिये गये।
55.	वार्ड न 03 में पुराने वस स्टेण्ड पेट्रोल प्य के पास शौचालय बनाया जाए ताकि आगजन से सुधिया भिल सकें।	मृदू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक को आवश्यकतानुसार व फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
56.	गढ़ी शोहला (कुण्डा कलोनी) में बेन हॉल बनाया जाए।	कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे अधीकारक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक को आवश्यकतानुसार व फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
57.	वार्ड न 03 में पुरानी सब्जी मण्डी में पार्क व कम्पनी मैन्चर बनाया जाए।	कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे अधीकारक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
58.	वार्ड न 03 में पुरानी सब्जी मण्डी दरवाजा मोहल्ला में पानी व सीधर की लाइन आवारी के लियाव से डलवाई जाए।	इस वारे अधीकारक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
59.	वार्ड न 03 हरियोगेट स्कूल बाली गली में बहुत गल्भी है वहां पर स्कूल के दोनों तरफ सीधर का पानी व कहूँ भरा रहता है जिससे स्कूल में फड़ने वाले बच्चे महामारी का शिकार हो सकते हैं कृष्ण करके स्कूल के आस-पास दोनों गलियों में सीधर लाइन डलवाई जाए।	इस वारे कार्यकरी अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक को आवश्यकतानुसार व फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
60.	वार्ड न 03 में इन्हा कैलोनी चौकी के पास पुल के नीचे पार्क बनाया जाए व ओपन निम लागवाया जाए ताकि वार्ड व शहर का सौन्दर्यपर्क हो सके।	इस वारे कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
61.	वार्ड न 03 की गलिया व नालिया काफी पुरानी होने के कारण दूरी पही है उनको बनावाया जाए।	इस वारे कार्यकरी अभियन्ता नगर निगम रोहतक को Feasibility दैक करने पूर्व फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
62.	वार्ड न 03 पुराना वस स्टेण्ड रामलीला पड़ान में सीधर लाइन व धीने के पानी की लाइन छोरी है आवादी जायदा होने के कारण यहां पर न तो पूरी कालोनी में पीने का पानी आता है और लोड ज्यादा	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

	होने के कारण सीवर औवरफ्लो रहते हैं।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
63.	वार्ड न0 03 में अवेंडकर नगर, दाह वाला जोहड़ का एरिया भी आता है जहां पर पीने के पानी व सीवर लाईन छोटी होने के कारण कॉलोनी तासी परेशान हैं कृष्ण यहां पर सीवर लाईन लोड के विसर्व से डलवाई जाए व पानी की सलाई का प्रैशर भी बढ़ाया जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
64.	वार्ड न0 03 में पाइव नार इन्डिरा कॉलोनी रोड नजदीक चुम्पी फार्म में रोड पर आए दिन सीवर कार्रवाई ऑवरफ्लो रहता है जिसके कारण सम कॉलोनियां अनें-जाने में परेशान होते हैं कृष्ण करके सीवर लाईन सही तरीके से डलवाई जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
65.	वार्ड न0 03 में इन्दिरा कॉलोनी श्याम मैडल स्कूल मार्टी वाली गली में सीवर लाईन छोटी होने के कारण वहां पर आए दिन कॉलोनियां परेशान होते रहते हैं। कृष्ण करके यहां पर सीवर की वडी कार्रवाई जलवाई जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
66.	वार्ड न0 03 में श्याम मैडल स्कूल मार्टी वाली गली में पीने का पानी नहीं आता है कृष्ण करके पीने के पानी की लाईन डलवाई जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
67.	गढ़ी मोहल्ला में चुगान माता मिदर से पार्वद के पर तक सड़क बहुल पुरानी व सीवर लाईन छोटी होने के कारण यहां पर पानी भर जाता है कृष्ण करके यहां पर सीवर लाईन व सड़क बनवाई जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
68.	वार्ड न0 03 पार्वद तिलकराज वाली गली व रोड पर पीने का पानी नहीं आता है जो गढ़ी मोहल्ला में 6 दूरी लाईन से जुड़ी हुई है कृष्ण करके इस लाईन की गढ़ी मोहल्ला से काटकर हिसार रोड की तरफ से जोड़ा जाए ताकि पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में आ सके।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
69.	कुछ आश्रम (सज्य कॉलोनी) पार्क व कम्पूनिटी सेन्टर बनाना है आश्रम में 3 एकड़ में जमीन है पूरी जमीन में पार्क व कम्पूनिटी सेन्टर बनाया जाए ताकि आसपास की कॉलोनियों में फायदा हो सके।	इस बारे Hind Kusht Nivarjan Sangh, Sector-16, Panchkula ने अपने पत्र क्रमांक HKNS/240/2021-22 167 दिनांक 21-09-2021 में जमीन देने वारे मना किया है।
70.	करतारपुरा में सभी गलिया दूरी पड़ी हैं व सीवर लाईन ऐमेज है इन्हें दोचारा बनवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को Feasibility चैक करने एवं फट्टा की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
71.	वार्ड न0 03 में इन्हा कॉलोनी में रेलवे लाईन के साथ मन्दिर से लेकर मैन चौक तक 12 इच्छी लाइन डाली जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
72.	वार्ड न0 03 पुरानी गढ़ी में सीवर व पानी की लाईन छोटी है जिसके कारण सीवर ऑवरफ्लो रहते हैं	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

13

	ओर पाने का पानी भी नहीं आता है कृप्या करके पुरानी गहरी मोहल्ला में सीधर व पानी की नई लाइन डालवाइ जाए।	कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
73.	वार्ड नं० ३ पाइप नहां में सीधर लाइन व पानी की लाइन दोबारा सही तरीके से डलवाई जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
74.	वार्ड नं० ३ में 100 स्पीड ब्रेकर लगाए जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
75.	कृष्णा कोलोनी में डायरी के कारण पशुओं के मल से सीधर भर जाते हैं कृप्या करके इसका समाधान किया जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
76.	वार्ड नं० 03 गहरी मोहल्ला नायक मन्दिर वाली गली में पानी की नई लाइन डाली जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
77.	वार्ड नं० 03 में घर्मकांडा के समने वाली गली व फीली कोठी वाली गली में नालिया बनाई जाए व सीधर लाईन बड़ी डाली जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
78.	हितार रोड व शिवानी रोड पुल पर भगवान वालिमकी चौक का सौन्दर्यकरण करवाया जाए पानी भीने के लिए चाटन ठूला लगावाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को आवश्यकतानुसार व फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाही के निर्देश दिये।
79.	वार्ड नं० 03 में सर्मा सीधर लाइन ल्लॉक हैं कृप्या सभी सीधरों की सफाई नियमित रूप से करवाई जाए।	कार्यकारी अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
वार्ड नं० 4		अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
80.	कक्षप घर्मशाला बनाने के लिए ढी लान से 15 लाख रुपये की मजूरी दी जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को आवश्यकतानुसार व फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाही के निर्देश दिये।
81.	वावरा मोहल्ला जाट घर्मशाला में एक नया हाल बनाने के लिए 25 लाख रुपये की मजूरी दी जाये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यह कार्य जिला योजना के तहत कार्य प्रगति पर है।

82.	डेयरी मोहल्ला से प्रधाना मोहल्ला तक गतिया व नलिया सी0सी० द्वारा पक्की बनाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम गोहतक को आवश्यकतानुसार व फट्टस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
83.	गोड़ कालेज के पास सेनी घर्मशाला की दीवारे व पैद खराब हो चुका है अतः सेनी घर्मशाला की मुरम्मत करवाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम गोहतक को आवश्यकतानुसार व फट्टस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
84.	सैनीवास मोहल्ला, धोबी मोहल्ला व डाक्टर प्रेम वाली गली की गली काफी खराब हो गई है जगह-2 गड्ढे हो गये हैं व नालिया भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है उनमें पनी भरा रहता है। अमजन को काफी कटिनाई का समाना करना पड़ता है। अतः सैनीवास मोहल्ला, धोबी मोहल्ला व डाक्टर प्रेम वाली गलीया व नालीया सी0सी० से पक्की करवाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम गोहतक को आवश्यकतानुसार व फट्टस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
85.	धोबी घर्मशाला, बावरा मोहल्ला में एक खट्टीक घर्मशाला है जो कि काफी पुरानी बड़ी हुई है इसकी विल्डिंग जर्जर हो चुकी है और खस्ता होता हो पर है। इसे नया रूप से बनाने का खर्च लागभा 15 लाख तक आ सकता है अतः इसे नये सिरे से बनवाया जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम गोहतक को आवश्यकतानुसार व फट्टस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
86.	डाक्टर प्रेम वाली गली में 6 इच की सीवर लाईन लिंगे हुई हैं जो कि जल्दी भर जाते हैं व अमजन को कफी परेशानी होती है। अतः 30 प्रेमवाली गली में 12 इच की सीवरेज लाईन डाली जाये।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमनुसार करवाई करने के निर्देश दिये गये।
87.	वाई न० ०४ की सीवरेज की आज तक कही भी सफाई नहीं हुई है जिसके कारण अमजन को काफी परेशानी हो रही है। अतः वाई न० ०४ की सीवरेज की सफाई करवाई जाये।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।
88.	तीन साल पूर्व माता दरवाजा पानी का बूटर पास हुआ था जिसका आज तक काम चालू नहीं हुआ है। अतः माता दरवाजा पानी का बूटर चालू करवाया जाये।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमनुसार करवाई करने के निर्देश दिये गये।
89.	माता दरवाजा में 2 साल पहले भात सिंह चौक बनाना पास हुआ था, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। कृष्णा माता दरवाजा में भगत सिंह चौक बनवाया जाये।	अधीक्षण अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला योजना के तहत कार्य प्रगति पर है।
90.	गेयरी वाली गली की घर्मशाला के लिए ठी0लान के तहत 5 लाख की मंजूरी दी जाये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यह कार्य जिला योजना के तहत कार्य प्रगति पर है।
91.	टेयर्ग मोहल्ला में घर्मशाला जो कि नगर निगम के अंतर्गत आती है उस घर्मशाला में दी लान के तहत 16 लाख मंजूर हुए थे नई घर्मशाला के लिए। परन्तु 16 लाख में कर्य पूरा नहीं हो पाया। अतः उक्त घर्मशाला का कार्य पूर्ण करवाने के लिए 25 लाख और मंजूर किये जायें।	टेयर्ग मोहल्ला में घर्मशाला जो कि नगर निगम के अंतर्गत आती है उस घर्मशाला के अंतर्गत करवाया गया कि जिला योजना के तहत प्राकलन भिजवाया गया था लोकिन राशि मंजूर नहीं हुई। राशि मंजूर होने उपरात आपामी करवाई अमल में लाई जायेगी। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा करवाई की जानी है।

92.	उमृत योजना पानी का बूस्टर स्टेशन रेनकपुरा गा कार्य पूरा करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि कार्य प्रगति पर है जो 31.03.2022 तक पूरा करवा दिया गया जाएगा। महारोप महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम रोहतक को उक्त कार्य समय पर करवाने वारे निर्देश दिये।
93.	अमृत योजना पानी का बूस्टर अवेडकर पार्क बूस्टर स्टेशन का कार्य पूरा करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इस कार्य पर पुरातत्व विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है।
94.	जोड़ रोड नालाद पर सुलभ शैचालय बनवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि मौके पर निरीक्षण एवं Feasibility चेक करने उपरांत आगामी कार्यवाही की जानी है।
95.	दाढ़ न0 5 की 70 प्रतिशत गलियां कच्ची हैं कृष्ण उनको पक्का करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यवाही की जानी है।
96.	निर्माणधन जोड़ रोड तालाब के अन्दर आधे में पार्क और आधे में तालाब के सौन्दर्यकरण का कार्य पूरा करवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को आवश्यकतानुसार व फडस्त को उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही अमल के निर्देश दिये।
97.	अमृत योजना के तहत पानी की जो लाइन दबाई गई है उनकी एम.वी. की कोफी व मौके का मुआपना करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यवाही की जानी है।
98.	जिन गलियों में पानी की लाइन का कार्य अधूरा है उनको पूरा करवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यवाही की जानी है।
वार्ड नं० 6		इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यवाही की जानी है।
99.	वार्ड न० 6 दुमान कॉलोनी गली न० २ (उपचार स्कूल के साथ) नीचे होने के कारण पानी भर जाता है, इसको कुंचा करके देखारा बनवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यवाही की जानी है।
100.	वार्ड न० 6 की तेज़ कॉलोनी के पार्क का लेवल करके घास व फूल लगवाए जाएं व इसकी चारदीवारी को कुंचा करवाए जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिये।
101.	वार्ड न० 6 में तेज़ कॉलोनी की घर्मशाला के कार्य को पूरा करके उसे समाज को सौंपने का कार्य करो।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य उक्त कार्य

102.	वाईं नं० ६ मेरे तेज कोलोनी की हरिजन चौपाल मेरी वासिश के कारण पानी भर जाता है, पानी निकालने के लिए जीरी लगावाई जाए व खड़ों को भरवाए जाए और उनके जाल लगाए जाए।	Civic Amenities के तहत एजेंसी द्वारा कर्तवया जा रहा है। कार्यकारी अभियंता जीरी लगावाई की जानी है।
103.	वाईं नं० 6 की लिन कच्ची गलियों मेरी पानी व सीधर की लाइन डल ढुकी है उनको पक्का करवाया कर्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मैका निरिक्षण करा Feasibility चैक करने उपरात नियमानुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
वाईं नं० 7	वाईं नं० 6 की लिन कच्ची गलियों मेरी पानी व सीधर की लाइन डल ढुकी है उनको पक्का करवाया कर्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मैका निरिक्षण करा Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
104.	लाहौल रोड से आसानियों वाली मैन गली का निर्माण, कृष्णल नगर की गलियों जो खस्ता हालत में हैं उनका पुनर्निर्माण, चमनपुरा व चुन्नपुरा, उत्तम विहार, महावीर कोलोनी, प्रेम नगर की गलियों का पुनर्निर्माण।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
105.	मनात सिंह पार्क मेरे खुले ठीक करवाए व नए भी लगाए जाए।	इस वारे सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम रोहतक को मैका कार्यवाही के निर्देश दिये।
106.	ग्रेमनगर चौक से गोहाना अद्वा तक साइड फुटपथ को ठीक व पुनर्निर्माण वारे।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
107.	उत्तम विहार, महावीर कोलोनी की नलियों को बद्द कर जी.टी. लगावाई जाए।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
108.	ग्रेमनगर हैफेट रोड पर सीधर लाईन टफ हो गई है उसका निर्माण करवाया जाए।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
109.	वाईं नं० 7 मेरे लगाया 300 स्ट्रीट लाईट लगावाई जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

17

110 सुखपुग से छास सैण्ड की तरफ जाते हुए भौंसी सच्चल भेड़ पर द्वेषक नगरवासे वारे।

111 वाहं न० ८ के सीधों के सभी भैनहोतों की सफाई करवाई गई।  
अधिकरण कोनोनों का नियमांकन करने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने वारे।

112 न० ८ गांडे नगर की शिल्पियों के लिए एन.ओ.सी. देने वारे व कलोनाइजर रोडशॉर शर्मा के खिलाफ अधिकारण कोनोनों का नियमांकन करने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने वारे।

वाहं न० 8

113 शोना दोड प्राप्त चौक से जसवर कलोरों में जो गली जाती है वहां पर लगभग 250 फुट तक गली की बहुत पुरानी हालत है लगभग 1-1 फुट के गड्ढे हैं।

114 लाठोत रोड पर माईन पब्लिक स्कूल गली गली छाई साल से उखड़ी पड़ी है। लाठोत रोड पर तीन गली और छाई साल से उखड़ी पड़ी है।

115 गोहाना गोड पर सूर्य नगर की गलियां भी काफी खराब अवस्था में हैं। सारी गली नये सिरे से बनेगी।

116 वस्तन चिहान ओट्राम स्टेडियम के सामने दो नव्यर गली की पुलिया ढूँढ़ी हुई है।

117 किशनपुरा में पानी के नाले की पुलिया भी काफी समय से ढूँढ़ी पड़ी है।

118. किशनपुरा में दावर वाली गली में सीधा लाईन वट्ट पड़ी है। इसमें नई सीधा लाईन डाली जाए।

119. पुराने विश्वाल नगर में मलाई का पानी खराब आ रहा है।

इस वारे अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

		कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
120.	लड़ान गेड शास्त्री नगर में भी सलाई का गन्दा पानी आ रहा है।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
121.	कवीर कालोनी व हरकी देवी कालोनी में पानी की काफी किलता है, वहां पर पानी का समाधान किया जाये।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
122.	सुखपुरा चौक पर छेद्याम नगर की गलिया काफी खराय अवस्था में है।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
123.	शास्त्री नगर लाटौंत गेड 60 फुट वाले गस्ते लामा 30 मफकन है। गली पकड़ी है मगर सीवर पानी की व्यवस्था नहीं है।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम रोहतक को मैका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दियें।
124.	उत्तम विहार से आसनिया वार्ता गली ढाई साल से उखड़ी पड़ी है। इसका निर्माण करवाया जाये।	इस वारे कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
125.	गोहाना गेड पर श्रद्धा प्रोपर्टी वाली गली में सीवर व पानी की व्यवस्था नहीं है।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
126.	चैक कालोनी में दो गलियों में पानी की लाईन नहीं है।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
127.	ऐलेक्सिर्ट रेलवे ट्रेन के पास 5-6 फुट तक पानी भरा है इसे निपलने का प्रयत्न किया जाये।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम रोहतक को मैका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दियें।
128.	वामत हस्ताताल के साथ एक छोटी से गली कच्ची पड़ी है।	कार्यकारी अभियंता नगर नियम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
129.	गंजनद नगर में सिर्फ़ि के महिर से लेकर सौ०एम० फार्म रोड तक गली में 1-1 फुट के गढ़े हैं। इसे करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दियें।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम रोहतक को मैका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दियें।

पार्ट नं० ०७	1.20) वसन्त दिवार छोड़ाम सेइप्स के सामने गति ०३ में गलियों में पानी व सीधर की लाइन नहीं है।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
131.	वार्ड-०७ के शाव गढ़ी बोहर मे कही भी घूमने-फिरने के लिए जगह नहीं है। समस्त ग्रामाचास्थि को पार्क की बहुत आवश्यकता है। अतः शाव गढ़ी बोहर में चार एकड़ में पार्क बनाया जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने के निर्देश दिये गये।
132.	वार्ड-०७ के शाव गढ़ी बोहर व बोहर निगम की जमीन से कब्जा हटवाया जाये कुछ आदमी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं व कुछ ने पहले से कब्जा कर रखा है।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
133.	वार्ड-०७ के बोहर शाव में ३३ के००टी० कंसाला की बिजली लाईन को हटाया जाये जिसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं व २-३ मौत हो चुकी है।	महापौर महोदय ने जल्द से जल्द उक्त जमीन से नियमानुसार कब्जा हटवाने वारे निर्देश दिये।
134.	वार्ड-०७ के बोहर मेलवान पाना चार एकड़ जमीन जिसमें कि लोग कब्जा करने की फिराक में हैं, इसी प्रकार लोग इसमें भी भोपान पाने में भी हैं, उसी प्रकार लोग इस पर भी कब्जा करने की सोच रहे हैं। इस देनों जगह पार्क की व्यवस्था की जाए, ताकि निगम की मूलि को सार्वजनिक तौर पर गाव के काम में लाया जाये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
135.	सेक्टर-०२ पार्ट, सेक्टर ३-४ मे वरसाती पानी की सबसे ज्यादा समस्या है इसका समाधान किया जाय।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक ने सदन को अवगत करवाया कि चारसात के समय जलभराव होने पर आवश्यकतानुसार पपसैट इल्यादि लागवाकर पानी निकासी का कार्रवाया जाता है।
136.	वार्ड ०७ के अंतर्गत आने वाले सभी पार्क में मिट्टी का भरत किया जाये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
137.	सेक्टर ३-४ की मीठेंग की सफाई करवाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरी प्राधिकरण, रोहतक को निर्देश दिये गये।

138.	इन्द्रप्रस्थ कालोनी मे सीवरेज लाईन को बड़ा किया जाये ताकि निकासी अच्छे से हो जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार अधीक्षण कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
139.	सैक्टर 3 मे हाउसिंह बोर्ड मे घरों के उपर से बिजली के तारों की जगह केबल लगाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण नियम रोहतक को उचित /आगामी कार्रवाई हेतु निर्देश दिये।
140.	अमृत योजना के तहत जो भी कार्य अद्भुत है उन्हे जल्द पूरा किया जाये ताकि सुविधाओं का लाभ मिल सके।	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम द्वारा अवगत करवाया गया कि अमृत योजना के तहत कार्रवाई जा रहा कार्य प्रगति पर है व 31-03-2022 तक कार्य पूरा करवा दिया जाएगा।
वार्ड नं 10		इस बारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान मे नगर नियम के पास फण्ड की उपलब्धता नही है। फंडस की उपलब्धता उपरात ही आगामी कार्रवाई की जानी सभव है। कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम, रोहतक को फंड की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने वारे निर्देश दिये गये।
141.	दिनांक 28.09.2021 को होने वाली बैठक से पहले नगर नियम सदन की बैठक हुई उनमे दिये गये एजेन्टों को पूरा कराने का काम किया जाए। आज तक जितने भी ऐजेन्ट बैठक मे दिए गए हैं उन पर कोई कार्यवाही नही हुई है।	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
142.	वार्ड नं 10 मे अमृत योहना के तहत पीने के पानी की पाईप लाइन डाली गई थी जिसमे बहुत एरिया का काम बचा हुआ है बहुत गलियां ऐसी हैं जो अनुमान के समय उन गलियों को झिंडुगा मे नही लिया उन सभी गलियों मे पाईप लाइन डाली जाए और इसके साथ-साथ जितने लाइने डाली गई हैं उनकी उचित जांच कराई जावे, उनके लेवल ठीक नही है, एक दूसरी गली के ज्याइट भी नहीं लगा रखे, वह काम किया जाये। कुछ लोगों के कंनेक्शन भी बकाया हैं, कुछ लोगों के घरों मे टेकेदार द्वारा 2 से 3 कंनेक्शन दिए गए हैं उनकी जांच कराई जाए व उनको बन्द कराया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान मे नगर नियम के पास फण्ड की उपलब्धता नही है। फंडस की उपलब्धता उपरात ही आगामी कार्रवाई की जानी सभव है। कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम, रोहतक को फंड की उपलब्धतानुसार आगामी कार्रवाई करने वारे निर्देश दिये गये।
143.	मेरे वार्ड का अधिकातम क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से हे वर्हा का अलग से फण्ड घोषित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी शहरो की तरह विकसित हो सके क्योंकि नगर नियम के अन्तर्गत आने के कारण गाव का विकास पूरी तरह से ठप है।	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
144.	वार्ड नं 10 के ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जो रास्ते खेतों की तरफ जाते हैं उनको पवर किया जाए वार्ड क्यांकि सरकार ने पचायती राज योजना के तहत अधिकातर गाव के रास्ते पकड़ कर दिए हैं इसलिए मेरे वार्ड मे आने वाले सभी गाव के खेतों के रास्तों को	इस बारे कार्यकारी अभियन्ता नगर नियम रोहतक को मौका निश्चिक कर Feasibility चैक करने उपरात फंडस की उपलब्धता अनुग्राम आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये।



पका किया जाए।	
145.	वार्ड 10 10 मे स्ट्रीट लाईट की सबसे बड़ी समस्या है डाई वर्ट का कार्यकाल पूरा हो गया और आजतक लगभग 50 नई लाइटे मेरे वार्ड में लगी हैं जिकि मेरे वार्ड का एरिया 6 गांव और 4 कॉलोनियाँ हैं। इसके अलावा ना ही कोई सिप्पर गाला वार्ड मे सिप्परिंग करता।
146.	मेरे वार्ड के सभी गांव मे एक-एक पार्क एव सामुदायिक केन्द्र का निर्माण अवश्य करवाया जाए।
147.	वार्ड 10 10 मे जितने भी गांव आते हैं बरसात के मौसम मे लगभग सभी गांवों मे बाढ़ है जैसी हालत उत्पन हो जाती है जिस बारे में सभी अधिकारियों के सजान मे भी लाया गाव के बावजूद आज भी गांव की हालत तुरी है इसलिए मेरे वार्ड मे आने वाले प्रत्यक्ष गाव मे पानी निकासी के लिए तालाबों के साथ स्थाई पम्प सेट लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि बरसात के मौसम मे लोगो की इस परेशानी से निजात दिलाई जा सके।
148.	अमृत योजना के तहत पानी व सीधर की जो लाईनें वार्ड के प्रत्येक एरिया मे डाली गई हैं उसके बावजूद सभी गलियों की हालत बद से बदतर हो गई है इसलिए सभी गलियों का पुनर्निर्माण करवाया जाए ताकि लोगो को आने जाने मे दिक्षित का सामना ना करना पड़े।
वार्ड नं 11	
149.	वार्ड न० 11 सेक्टर-14 की Main Entrance वाली सड़क को चौड़ा किया जाये क्यों कि यह मुख्य मार्ग है व काफी संकीर्ण है। इसे दोनों तरफ से 3-3 फुट बढ़ाया जाये।
150.	सेक्टर-14 को ताज देवीलाल पार्क से Footover Bridge से जोड़ा जाये। क्यों कि जाना पड़ रहा है व कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। इस बारे 10.09.2019 व 08.04.2021 की बैठको मे अनुरोध किया जा चुका है।
151.	सेक्टर 1.2.3 व 14 मे कोई वरिष्ठ नागरिक बतव नही है। इन सेक्टरों मे तज्जल वरिष्ठ नागरिक बतव चाहते जाये। इस बारे HSVP ने जमीन भी चिह्नित की हुई है।
152.	सेक्टर 01 व 02 मे कफी जनसंख्या रहती है अतः इन सेक्टरों मे तकाल डिस्पर्सी चाहवां जाये तथा सेक्टर-14 की डिस्पर्सी को Upgrade किया जाये।

	कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।
153.	सेक्टर-01 के हाउसिंग बोर्ड में ऐटे-02 मकान है, गलिया काफी सकीर्ज है, घरों के साथ नगती हुई विहारी की तरों की खड़ कोटेड तार में परिवर्तित किया जाये, ताकि लादसे से चवा जा सके। इसके अतिरिक्त सेक्टर-14 में गैन गेड से एयोमाल के साथ-02 गार्डेन तक हाईटेंशन तार की लाइसेंस रचड कोटेड वायर में परिवर्तित किया जाये।
154.	सेक्टर 1 व 14 में जनसच्चाया कार्यी बढ़ गई है समय की माप के अनुसार समुदायिक केंद्र जो अव RWA सेक्टर-01 के पास है विस्तार किया जाये। सेक्टर-01 के पुराने समुदायिक केंद्र जो अव RWA सेक्टर-01 के पास है उसको पुनः बनाने के लिए प्रार्थना की थी नियम की टीम ने उसे बनाने हेतु तोड तो दिया परन्तु उस पर कारबाई नहीं हुई है। कृप्या इसे तालिल बदलवाया जाये।
155.	सेक्टर-14 में Rain Water Harvesting System टीक काये नहीं पर रात है। अतः इसे टीक करने हेतु वहां के लोगों का मुझात है कि इसे Green Belt के गते से Direct Boosting Station तक Connect किया जाये तो समस्या का समाप्त हो सकता है।
156.	घाँड नं 11 में कई जाह मुफ्तपाथ हुए हुए हैं निरीक्षण करने कीर्ति करवाये जाये।
157.	सेक्टरों में Drainage System व Sewer System ठीक काये नहीं कर रहे हैं। सभी पाइप स्ट्रेंज कुएँ, वर्षों तक इनकी सफाई नहीं हुई। अतः तत्काल Drainage व Sewer पाइप की साफाई करवाई जाये तथा नियम व HSVF की रीम इन दोनों कार्यों की पड़ताल करे व जल पाइप नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं उन्हे बदला जाये। इसके अतिरिक्त Drainage व Sewer के मौन होल पर ढक्कन नहीं है उन्हे लागवाया जाये।
158.	वार्ड नं 11 में कई सड़के खराब हैं कि कई 2 फिट गड्ढे बने हुए हैं। जैसे - सेक्टर-01 की 2 <sup>nd</sup> Entry से भीम किरणाणा की दुकान व 2 <sup>nd</sup> Entry से मकान नं 696 से 697 व 310 के आसपास, हजुसिंग बोर्ड सेक्टर-01 की गलिया विन्टलू दूरी हुई है। इसी तरह सेक्टर-2 में सोनीपत रोड से आस्तराम वापू मार्न, सेक्टर-14 की कई गलिया, खेंन्हु कालोनी की कई गलिया व विन्य नगर गिली छार्ट अस्पताल के साथ लगती गलिया बनवाने की सख्त जरूरत है।
159.	सेक्टर-01 के साथ दिल्ली रोड के साथ रज नाईन का बैन है वहां काफी मकान, अस्पताल, फैट व अन्य कई इमारतें बनी हुई हैं। परन्तु इस परिया में सीधेरु व पानी की पेशानी है। कृप्या इस बैन को बिना नार की सीधेर लाइन या अन्य लाइन से जोड़ा जाये।
160.	सेक्टर-01 के Shopping Complex में जाह-02 गोले हुए हुई हैं इन्हे ठीक करवाया जाये।



आगामी कार्यवाई करने के निर्देश दिये गये।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।
वार्ड न0 11 मे आवश्यकता अनुसार सी0सी0टी0वी0 केमे लगाये जाये।
वार्ड न0 11 मे कई पार्कों की स्थिति बहुत खराब है जैसे सैक्टर-02 के साथ लगते JLN कैनल के साथ आगाराम बाहु मारे पर दो बड़े पार्क हैं इसमें शाडिया, कीड़े मकोड़े व अन्य जीव जन्तु अक्सर आमजन को पेशान करते हैं। इसी तरह और पार्कों की स्थिति ठीक नहीं है। कई पार्कों मे झूले नहीं हैं, जिन नहीं हैं, ट्रैक हूटे हुए हैं, वाहर के त्रिसों मे इन्टर्लॉकिं टाइल्स नहीं हैं कई पार्कों मे शैड नहीं हैं।
नेवीन्यु कानोनी मे सामूहिक केंद्र बने हुए कई वर्ष हो गए हैं परन्तु अभी तक सीवर कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है कृष्ण इसे जोड़ा जाये।
वार्ड न0 11 का ज्यादातर हिस्सा बाहरी है जिसके कारण यहां आवारा पश्चु कुत्ते बद्दर बहुत आते हैं कृष्ण द्वार पर Road Catcher लगाये जाये तथा आवारा पशुओं को पड़वाने की कार्रवाई सुनाइचत की जाये।
मेक्टर-01 के Shopping Complex मे एक सार्वजनिक शौचालय है एक और बनवाया जाये क्यों कि यहां एलोआइटी0 का मुख्य कार्यालय, बैंक व अस्पताल इत्यादि बन गये हैं। अतः एक शौचालय एलोआइटी0 कार्यालय के आस-पास बनवाया जाये।
वार्ड न0 11 का ज्यादातर सेक्टर एरिया मे खली जाट हैं इनमें बड़ी-02 शाडियां, घास व जहरीली माप, बिच्छु रहते हैं। कृष्ण HSVP से इन्हे तकात साफ करवाया जाये।
मेक्टर-14 मे Primary School से लेकर दिल्ली रोड तक ताजदेवी लाल मे जाने के लिए कच्चा गत्ता है इस पर निर्दिष्ट डिलवाकर टाईल्स लगावाई जाये ताकि आमे जाने मे पैदल यात्रियों को अनुविधा न हो।
ताउ देवीगाल पार्क के उत्तर दिशा मे Land Acquisition office की तरफ एक पार्किंग है इसे साफ सुखाना करवाकर पक्का करवाया जाये।
मेक्टर- 14 के सांबर पर कार्य कठ्ठ वर्षो से चल रहा है इसे Functional करवाया जाये।

				हरियाणा राहरी विकास प्राइवेट लिमिटेड रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।
170.	सेक्टर-01 च दो के पूर्व की तरफ JLN Canal के साथ लगती कपड़ी जमीन/ग्रीन गैल्ट इत्यादि वर्ष पट्ठी ढुँढ़ है। इसके साफ सुधार कार्याकर walking tracks बनाना व वैच इत्यादि रखबाकर दर्शनीय स्थल बनाया जा सकता है।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक को आगामी कार्बवाई करने के निर्देश दिये गये।		
चार्ड नं० 12				
171.	चार्ड नं० 12 की गमगोपत कॉलोनी ताऊ नगर, तिलक नगर, कमल कॉलोनी, देव कॉलोनी, भरत कॉलोनी, छोट राम नगर आदि की सफाई काफी समय से नहीं ढुँढ़ है, सफाई करवाई जाए।	इस वारे मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक को नियमित रूप से सफाई करवाने वारे निर्देश दिए।		
172.	चार्ड नं० 12 में गमगोपत कॉलोनी, देव कॉलोनी में नई सीधर लाइन डलवाई जाए।	इस वारे अधीक्षक निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।		
173.	चार्ड नं० 12 में कई जगह पानी की दिक्षित है नई पानी की लाईन डलवाई जाए।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।		
174.	चार्ड नं० 12 की सभी कॉलोनियों में रोड जाली(जीटी) की सफाई करवाई जाए और जो ढुँढ़ है उनको नवा लगवाया जाए।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।		
175.	चार्ड नं० 12 की देव कॉलोनी व सेक्टरों के पार्कों का कार्य अधूरा है पूरा करवाया जाए।	इस वारे मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर आगामी कार्बवाई करने के निर्देश दिये गये।		
176.	सेक्टर 2 व 3 पार्ट में वरसाती लाईन (इन बाटर) की सफाई व उन पर ढक्कन रखवाए जाए।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चक फरने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्बवाई के निर्देश दिये।		
177.	सेक्टर 2 व 3 पार्ट की वरसाती पानी की निकासी की जाए।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा अवगत करवाया गया निक समय-सम्पर पर सफाई करवा दी जाती है और ढक्कन रखवाने का कारो चल रहा है।		
178.	चार्ड नं० 12 में गलियों का कार्य अधूरा है उसे पूरा करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।		
		इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर, फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्बवाई के निर्देश दिये।		
		कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।		

<p>१८० वार्ड न० १२ में ट्रैक कोलोनी भरत कोलोनी में सफाई जनचारियों की स्थिति है, सफाई कर्मचारियों को सहाया बढ़ाव नहीं।</p>	<p>इस बारे मुख्य माइट निगमिक, नगर निगम, मैटलक और नियमनुसार ग्रामीण कर्मचारी चारे निर्देश द्वारा सहाइ निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।</p>
<p>१८१ वार्ड न० १२ के नेहुं पुरी तरह दूरे हुए हैं उनके बनवाया जाए।</p>	<p>इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।</p>
<p>१८२ वार्ड न० १२ के पास के इले रिप्यर करवाए जाए।</p>	<p>इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये।</p>
<p>१८३ राज्योपति कोलोनी में विजली की नगी तारे लटकी हुई हैं उनको बदलकर केवल डलवाई जाए।</p>	<p>इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये।</p>
<p>१८४ राज्योपति गोड शीला वाईपस से सेक्टर तक य दिल्ली गोड शीला वाईपस से जाट भवन तक मैन गोड ग्र बने जाले के सफाई व ढक्कन रखवाए जाए।</p>	<p>इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम रोहतक को उचित/आगामी कार्रवाई हेतु निर्देश दिये।</p> <p>अधीक्षक अभियन्ता उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।</p>
<p>वार्ड न० १३</p>	<p>इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये।</p> <p>कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।</p>
<p>१८५ वार्ड न० १३ में मडकों के पुनर्निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है-</p>	<p>इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये।</p>
<p>१८६ वार्ड न० १३ में वैलाश कोलोनी की अधिकारियों की अपराधिक लापरवाही के कारण वैलाश कोलोनी के पार्क का गाइड हो दिखाई देते हैं। इन सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दोषिया वाहन चालक तो नियन्कर चौटाल हो जाते हैं। अतः इन सड़कों का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए।</p>	<p>इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरात फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये।</p> <p>कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।</p>

		पुनर्निर्माण का जावे आवधानाथ मरणावा जाए।
१८८		<p>जार निगम ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती- सफाई न होने से कारण जाह-जाह नानी के हेतु लो पड़े हैं जो शहर को सफाई रेकिंग में अबल ने दे दिया बन गए हैं। निगम की ६.५ लाख आवादी पर केवल ७७० सफाई कर्मचारी हैं। पिछले २० वर्षों से सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है विलक्ष २८७ कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। मजल्स नानी के अनुसार १५०० सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। अतः नार निगम नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने लिए शहर की सफाई व्यवस्था सुधार लेप से हो सके।</p>
१८९		<p>वाडे न० १३ के पासों का जोगांदार- नुचाप नगर से भारती पार्क व गुरुद्वारे के पार्वे वाली पार्क, मॉडल टाउन में लकड़ी पार्क, झां कॉलानी में लकड़ा पार्क जॉल-शील अवस्था में है। इन सभी पार्कों का युनिर्माण करवाया जाए।</p>
१९०		<p>अवैध निर्माण से बचायित- नियन्त्रित २० वर्षों में गोहतक में क्या एक भी भवन विलिंग वाय-जौंज या पास कावाए द्वारा नक्शे के भुजानार बनी हैं। इन नवयों में नार निगम द्वारा कार्यवाही की गई है। क्या किसी भवन मालिक ने प्रदेश occupation या completion certificate दिया गया है। क्या किसी भवन मालिक ने प्रदेश निर्माण की one time settlement scheme का लाप्र प्राप्त किया है, पूरी रिपोर्ट सदन के दस्तावेज द्वारा जाए।</p>
१९१		<p>दावे न० १३ में नामुदायिक केन्द्र व पार्किंग का निर्माण- सोनीपत स्टेंड पर नार निगम की जो उम्मीद है वहां कम्पनी सेंटर व पार्किंग के निर्माण का लिलान्सास द्वारा दी वर्ष से अधिक समय ले गया है इसका निर्माण कार्य कर शुरू होगा।</p>
१९२		<p>दूर्विध पार्क का निर्माण- दूर्विध पार्क का निर्माण का लिलान्सास मुख्यमन्त्री द्वारा २.५ वर्ष पहले किया गया था यह निर्माण वापर करने शुरू होगा।</p>
१९३		<p>गोकुंसा स्तर का निर्माण- गोडल टाउन अधित वायु पार्क पर प्रस्तावित पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाए। वाहन पार्किं ग की व्यवस्था न होने के कारण दिल्ली गोडल गोडल टाउन में जाम की स्थिति बनी रहती है। आइ पाप टो वायु गोडल टाउन का नामकरण भागवान परम्पराम के नाम पर करने वारे।</p>
		वाहे न० १४

इस वारे मुख्य माल्डै निर्माणक द्वारा मरन को अवात करवाया गया कि माल्कार के  
निर्देशनाम सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं की जा सकती है।  
मुख्य सफाई निरीक्षक नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक को मौका निर्माण कर Feasibility वेक  
करने त्रयांत फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।  
कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे महायक नार योजनाकार, नार निगम, गोहतक को दूरी नियोट/दूर्यना नदन को अवगत  
करवाने वारे निर्देश दिए गए।  
सहायक नार योजनाकार, नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक को मौका निर्माण कर Feasibility वेक  
करने त्रयांत फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।  
कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

कार्यकारी अभियंता नार निगम द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि निर्देशन की स्थीरता  
एवं फडस की उपलब्धता के लिए लिखा गया है। स्थीरता एवं फडस की उपलब्धता उपरन्त  
प्रैक्टिक पार्क के निर्माण की प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी।

कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक को मौका निर्माण कर Feasibility वेक  
करने त्रयांत फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।  
कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक को मौका निर्माण कर Feasibility वेक  
करने त्रयांत फडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।  
कार्यकारी अभियंता नार निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे भू-अधिकारी नार निगम, गोहतक द्वारा सब-कमों में रखने वारे निर्देश दिए गए।  
भू-अधिकारी, नार निगम, गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

194.	बाईं न०14 राजसीय चरिष्ट विधालय (व्याय विग) गांधी नगर रोहतक का नाम शहीद रविन्द्र कुमार के नाम पर रखने वारे।	इस वारे मू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक को सच-कमेंट में रखने वारे निर्देश दिए गए।
195.	कोर्ट के समने ये गोल चक्कर का नाम महात्मा ज्योतिवा फूले के नाम पर रखने वारे।	मू-अधिकारी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि मुख्यमंत्रा चौक लाइंट गेड पर वो समुदायिक केन्द्र का नाम पहले से ही महात्मा ज्योतिवा फूले रखा गा चुका है, इसलिए कोर्ट के समने ये गोल चक्कर का नाम महात्मा ज्योतिवा फूले नहीं रखा गा सकता।
196.	रेलवे लाइन, गांधी नगर रोहतक में दुकानदारों से कलैक्टर रेट ना लेने वारे।	इस वारे विन्दू न०-२ पर निर्णय लिया जा चुका है।
197.	20 वर्ष पुराने किएटारों को मालिकाना हक्क देने वारे।	इस वारे मू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक ने अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री शहीद स्मारित गोजना के तहत प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है।
198.	बाईं में सीपरेजों के मेन होल की सफाई एवं दृष्टिप्रणाली बेस्ट नियम लिया जा चुका है।	इस वारे मू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक ने अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री शहीद स्मारित गोजना के तहत प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है।
199.	अशोका रोड से लेवर चौक तक सरकुलर रोड को ग्रीक करवाने वारे।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
200.	खाली लाटों से कूड़ा उठवाने वारे।	इस वारे अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क), रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
201.	डी.ए.वी.स्कूल के समने डी.एल.एफ कॉलोनी वाला मुख्य मार्ग बनवाने वारे।	इस वारे सदन को अवगत करवाया गया कि खाली लाट निजि सपति है इसलिए नगर निगम द्वारा सभी खाली लाटों से कूड़ा उठवाया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य सपाह निरीक्षक को पार्क द्वारा बताये गये ऐसे लाटों धारकों की सूची लेकर नोटिस देने वारे निर्देश दिये गये।
202.	शहर में पाचवीं मार्जिल पास करवाने वारे।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मोका निरीक्षण कार्को नियमानुसार आगामी मुख्य सपाह निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
203.	मृ.एल.वी. एनडीसी व एनओसी निगम में एक ही स्थान पर देने वारे।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
		इस वारे सहायक नगर निगमकार नगर निगम, रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है।
204.	काट मर्डी के दोनों साइड का गोड सी.सी. बनवाया जाए।	इस वारे उपनियम, आमुक्त नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

वार्ड नं० 16

काट मर्डी के दोनों साइड का गोड सी.सी. बनवाया जाए।

कार्यवाई के निर्देश दिये।

कार्यकारी अधिकारी नगर निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

205 नगर उड़ी सड़ी में छरमली पांच घण्टे जाता है उसे स्टोरम वार के लाइन से जोड़ा जाए।

206 नगर नगरी में सेवन लाइन डलवाकर नगरी मी.सी. चन्द्रवाई जाए।

207 नगर नगरी के आधा पौरिया पॉटिंग है बाहर लाइन डलवाकर नगरी का काम पूरा करवाया जाए।

208 दिनांक नगर में गर्भीयता की पाष्ठ लाइन की जस्ती है उसे जल्द से जल्द लगवाया जाए।

209 नगर नगरी नगरी में पानी और सीधर की लाइन डली जाए।

210 नगरी के लाइन डली में सीधर की लाइन डली जाए और गली सी.सी. चन्द्रवाई जाए।

211 नगरी नगरी 16 में गर्भीयता की मालाई सुचाल रूप से करवाई जाए।

212 निर्देश नगरी नगरी को ठोक किया जाए।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी नगर निगम गोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी नगर निगम गोहतक को उचित कार्यवाई करने के निर्देश दिये गये।

अधीक्षण अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई करने के निर्देश दिये गये।

अधीक्षण अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

अधीक्षण अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

अधीक्षण अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

इस वारे अधीक्षक अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

अधीक्षण अधिकारी जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।

213.	आगनवाई वक्सरे की लिस्ट फोन न० के साथ मी जाए उनका स्थान भी निर्धारित हो और किसी भी डिपार्टमेंट में यदि किसी अधिकारी का तबादला होता है उसके स्थान पर जो भी नया अधिकारी आए उनको जनकारी सभी पार्षदों को दी जाए।	इस बारे जिला महिला एवं बाल विकास विकास अधिकारी नार निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
214.	प्रेशन ने निलोडिट जो श्री निगम बत्ते जाते हैं उसकी प्रति सभी पार्षदों को दी जाए।	इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
215.	पीर जो मोहल्ले की सभी गानेया सी.सी. बनवाई जाए।	जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
216.	चार्ड में ड्रीट लाइट की कमी है उन्हें जरूरत के हिसाब से लागवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नार निगम द्वारा अवधारणा कर फैसिलिटी चैक करने उपरांत फैडबॉक की ज्यपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
217.	सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए।	कार्यकारी अभियंता नार निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
218.	स्ट्रीट लाइट उतार नीं जानी है वो कई महीनों तक भी नहीं लगती उन्हें समय से लागवाया जाए और उनको सुधाना पार्षद को दी जाए।	इस बारे जिला महिला एवं बाल विकास विकास अधिकारी नार निगम द्वारा अवधारणा करने वाले जारी हुए निर्देश दिये गए।
219.	वन्दनों गोर कुल्तों के आतंक से शहर को सुरक्षित किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नार निगम को पार्षद से खाराव लाइटों की सूची लेकर लाइट नियंत्रण करवाने वारे निर्देश दिये गये।
220.	वार्ड 16 में बरसाती पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है पाकों में कई दिनों तक पानी छड़ा रहता है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नार निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
221.	हुड़डा पार्क में दो साल पहले ग्रामालय का निर्माण हुआ था उसके शिलान्यास से पहले ही उसकी छत ज़र्जर हालत में हो गई है उस ठीक करवाकर जनता को समर्पित किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नार निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।
222.	अप्रैल पार्क में लाटेग्रन की कर्मा है व साग शेड हटा हुआ है उसे ठीक करवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने वारे निर्देश दिए गए।

		कार्यकारी अभियंता, नार निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
223	इन्जर गेड, रेलवे गेड बिहानी स्टेण्ड में जिस लोगोंपाई की इस्ती होती है वो शैष में जाकर घृट जाते हैं जिसके कारण जाम की ख्यति वनी रहती है ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।	इस वारे मू-अधिकारी, नार निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
224	कृष्ण पार्क, लुड्झा पार्क, श्रीगम पार्क में सफाई की व्यवस्था सुचाल रूप से कारबाई जाए।	इस वारे मूल्य सफाई निगमक, नार निगम, गोलाक औ नियमित नापाई करवाने वारे दिशा-निर्देश दिए।
225	मेन शूजर रेड जो B&R विभाग के अंतर्गत आता है उस पर वसात के कारण गड्ढे हो गए हैं सबैघंत विभाग से ठीक करवाया जाए।	इस वारे अद्विद्धक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क) रोहतक से पत्राचार करने वारे निर्देश दिये।
226	जी.टी. के जाल सही तरीके से लापार जाए जो ऊर रोज चोरी हो जाते हैं।	कार्यकारी अभियंता, नार निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
वार्ड नं 17		इस वारे कार्यकारी अभियन्ता, नार निगम, रोहतक ने अवात करवाया कि सम्बोधित वार्ड में जाल की चोरी सोकने हेतु आगामी रिप्यर कार्य के टेंडर के अंतर्गत GT Chambers पर पत्थर के कवर लावाये जा रहे हैं।
227.	आपसीजन होम्याटल के साथ लगती छुई गली में सीवेज के छक्कन की समस्या।	कार्यकारी अभियन्ता, नार निगम, रोहतक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
228.	पुणर्ना अनाजगमार्डी गमलीला ग्राउंड के साथ सीवेज के छक्कन की समस्या।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
229	बोर्डो थाट, सोनापत रेट्पट, मानसरोवर पार्क के पास निष्ठे कई द्विकांक से सीवर के छक्कन की गलत खुगव है जिसके कारण पानी गन्ना आ रहा है।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
230	गमनगार कालोनी सीवेज की समस्या।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
231.	दग्धमेश नारा, कल्या वर्ंग गेड 15 छुट का सीवेज का पाईप लगाना है जिससे लोगों को निष्ठे कई मालों से कोर्फी परेशानी झेलना पड़ रही है।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
232	गार्ड कम्प प्रिव मान्दर के पास पीने के पानी की समस्या है।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक को उचित कार्रवाई



		करने के निर्देश दिये गये।
233.	श्रीराम जनकी मैलेर नियर पट्टवार खाना के पास सीधेज और पानी की नई लाइन उल्लंघन है।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
234.	श्रीराम सत्तग भवन प्राप्त गती, गुसाई चौक, पलाड़ गांडला सीधेज की समस्या है।	इस वारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
235.	किला गेड़, पीर बाली गली में पिछ्ले काफी समय से पानी गंदा आ रहा है।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
236.	किला गेड़ जन्मेरी वाली गली में सीधेज की समस्या।	इस वारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
237.	झंगा कलोनी, फोरेस्ट ऑफिस के सम्मेवाली गली में पिछ्ले काफी सालों से सीधेज की लाइन नहीं, जिससे वहाँ के लोग काफी परेशान हैं।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
238.	बाईं नं 14 मे गांधी नगर स्थित राजकीय बरिल माध्यमिक विधालय (BOYS) का नाम शहीद सिपाही गविन्ज के नाम पर रखने वारे।	इस वारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
239.	सारे शहर मे गोपाला रोड पर और इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती है और जो गांधी पकड़ने और उनको गढ़शाला मे छोड़ने के ट्रैक्टर की दौवारा किया जाये।	अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
240.	बरिल उपमालापैर के कमरे के अंदर जो कमरा है उसको खाली करवाकर उसमे रेस्ट हम या वायरलम चनाया जाये। इस वारे काफी समय से अनुरोध किया जा रहा है।	इस वारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए।
241.	सेवटर 3 के पार्क मे कुर्सी, जिम मशीने इत्यादि की लगवाई जाये।	अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
242.	अमी तक रोहतक शहर मे साईन बोर्ड नहीं लगे हैं सभी पार्कों के व कच्चा बेरी गेड़ के माता मैदिय चौक के साईन बोर्ड लगावाये जाये।	इस वारे अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

242	2008 የኢትዮጵያዊት ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
243	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
244	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
245	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
246	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
247	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
248	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
249	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
250	Govt School ከሚያስተካክለ የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤ (ሚፈጸም የሚከተሉ ደንብ በኋላ)
251	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤
252	የኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ደንብ በኋላ ማረጋገጫ እንዲያደርግ ይችላል፤

263	የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት በኋላ የወንጀል ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል በአገልግሎት የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
262	የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
261	የኢትዮጵያ 205 ዓ.ም. ጥቅምት 22 ቀን የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
260	የኢትዮጵያ 2010 ዓ.ም. ጥቅምት 22 ቀን የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
259	60 ዓ.ም. ጥቅምት የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
258	ብዕለ ደንብ 57, ይዞ የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
257	20 ማመራሪያ ደንብ 32 የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
256	የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
255	ብዕለ ደንብ 17 የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
254.	ብዕለ ደንብ 10 የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል
253	ብዕለ ደንብ 15 የሰው በትክክል የሚከተሉ ይዘር የለም የኢትዮጵያ የወንጀል አገልግሎት ቤት የስራ መሆኑን ይፈጸማል

264.	Installation, maintenance & operation of modern police traffic booth ብርሃን የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
265.	With drinking water facilities on PPP mode for 20 years. የመጀመሪያ ደንብ የዚህ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የመጀመሪያ ደንብ የዚህ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
266.	Police station building construction 40 m <sup>2</sup> for 20 years የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
267.	Water supply system 5 m <sup>3</sup> for 20 years የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
268.	Feasibility study 1 year የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
269.	Public participation 30 days የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
270.	Public participation 30 days የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
271.	Public participation 30 days የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
272.	Public participation 30 days የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ
273.	Public participation 30 days የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ	የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ የሚገኘው በቻ ስራ እንደሆነ

283	ተያዥ በኩል ከስራ ማስረጃዎች የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
282	ይህ ውስጥ በኩል የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡
281	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
280	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
279	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
278	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
277	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
276	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
275	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ
274	የአገልግሎት የስራ ማስረጃዎች አለም የሚከተሉት መሆኑን በጥሩ ተጠቀሙ ነው፡፡ F easibility ውስጥ



300	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው ጥሩ፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው ጥሩ፤
299	ስነ-ስ-18 ኔን አንቀጽ 4 ተጨማሪ የሚጠቃላይ የሚታወቁ ዓይነት ንብረቶች በጥቃት ተፈጻሚ ነው፤	ስነ-ስ-18 ኔን አንቀጽ 4 ተጨማሪ የሚጠቃላይ የሚታወቁ ዓይነት ንብረቶች በጥቃት ተፈጻሚ ነው፤
298	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
297	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
296	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
295	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
294	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
293	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
292	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤
291	ይህ አገልግሎት ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤	የተያዘረገረ ምን ቀረቡ መለያ የሆኑ የሚገልጻ እንደሚመለከ ምን ምን ተፈጻሚ ነው፤



309.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, ምትራፊ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ጉዳዩ ተችነት ያላለሁ, ይታደው የትራፊ ሚስቴሪ
308.	በኩል, ጥናኔ ጥናኔ ተካደ, የንግድ የተሰጠውን ተችነት የተቀባዩ ተችነት ያለሁ।
307.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ। የትራፊ ሚስቴሪ, ከ ለክር ሚስቴሪ ማረጋገጧ ይችሉ ይለሁ।
308.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
309.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, ምትራፊ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ጉዳዩ ተችነት ያላለሁ, ይታደው የትራፊ ሚስቴሪ
310.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
311.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
312.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
313.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
314.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
315.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
316.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
317.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
318.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
319.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
320.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।
321.	የትራፊ ሚስቴሪ, ደደ ቀኑ, የንግድ, የንግድ ሚስቴሪ, ጥናኔ መያዜሙ ፊት, ተችነት ያለሁ।





327	ይቅን ቁ-0-21 ከ 31/08/2019 ዓ.ም የዚህ ማረጋገጫ ስት በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤
328	ይቅን ቁ-0-21 ከ ታቦዎች የማኅኑ ማረጋገጫ ስት እና መስቀል ይቻል ይቻል ሲሆን፤
329	ይቅን ቁ-0-21 ከ ታቦዎች የማኅኑ ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤
330	ይቅን ቁ-0-21 ከ ታቦዎች የማኅኑ ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤
331	ይቅን ቁ-0-21 ከ ምንም ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤
332	ይቅን ቁ-0-21 ከ 31/10/2019 ዓ.ም የዚህ ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤
333	ይቅን ቁ-0-21 ከ ታቦዎች የማኅኑ ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤
334	ይቅን ቁ-0-21 ከ ታቦዎች የማኅኑ ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ በተመለከተ ተደርሱ ሲሆን፤

አሁን  
በዚህ ማረጋገጫ ስት የሚከተሉ ስም ነው፤













17.	ይህንና የዚህንና በተመለከተ ስለሚገኘው ነው ይህንን የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
18.	ስልክ ቀን 02 ማለት ማለት የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
19.	ስልክ ቀን 02 ማለት ማለት የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
20.	ስልክ ቀን 02 ማለት ማለት የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
21.	ስልክ ቀን 02 ማለት ማለት የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
22.	ስልክ ቀን 05 ማለት ማለት የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
23.	ስልክ ቀን 21 የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
24.	ስልክ ቀን 21 የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।
25.	ስልክ ቀን 25 የሚከተሉት ሰነድ በላይ ।



	ይዚህ የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ የሚከተሉት ደንብዎች እንደሆነው ያለበት ይገልጻል፤
35.	ስራተኞች የሚከተሉት የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ የሚከተሉት ደንብዎች እንደሆነው ያለበት ይገልጻል፤
36.	ይህንም የሚከተሉት የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ የሚከተሉት ደንብዎች እንደሆነው ያለበት ይገልጻል፤
37.	ይህንም የሚከተሉት የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ የሚከተሉት ደንብዎች እንደሆነው ያለበት ይገልጻል፤
38.	ይህንም የሚከተሉት የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ የሚከተሉት ደንብዎች እንደሆነው ያለበት ይገልጻል፤
39.	ይህንም የሚከተሉት የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ የሚከተሉት ደንብዎች እንደሆነው ያለበት ይገልጻል፤
40.	ይህንም የሚከተሉት 250 ዓመት መሰረት ይገልጻል፤
41.	ይህንም የሚከተሉት 06 ዓመት መሰረት ይገልጻል፤
42.	ይህንም የሚከተሉት 31 ዓመት መሰረት ይገልጻል፤
43.	ይህንም የሚከተሉት 12 ዓመት መሰረት ይገልጻል፤







		कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
72.	गांव गढ़ी बोहर में मैन रोड से गांव के स्कूल की तरफ नए नाले का निर्माण किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
73.	गांव गढ़ी बोहर के गांव में जितने भी नलियों के लोहे के जाल टूटे हुए हैं वहां पर नए लोहे के जाल लगाए जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को अमृत योजना के तहत सीधर व पानी की लाइन डालते समय तोड़ी गई सड़कें एजेन्सी से ठीक करवाने हेतु निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
74.	गांव गढ़ी बोहर में अमृत योजना के तहत सीधर व पानी की लाइन डालने के दौरान जो गलियां तोड़ी गई हैं उनको दोबारा ठीक करवाया जावे।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को अमृत योजना के तहत सीधर व पानी की लाइन डालते समय तोड़ी गई सड़कें एजेन्सी से ठीक करवाने हेतु निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
75.	गांव गढ़ी बोहर में नई स्ट्रीट लाइट लगावाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि नियेशालय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये टेंडर खोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्थीकृति उपरांत आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट लगावा दी जायेगी। कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
76.	गांव गढ़ी बोहर में हरिजन घोपाल का पुनः निर्माण किया जावे।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
77.	गांव अस्थल बोहर में अमृत योजना के तहत सीधर व पानी का कार्य किया जाए। यह सारा परिया पानी व सीधर की लाइन के बिना अधूरा पड़ा है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
78.	गांव अस्थल बोहर में खाराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाया जाए व नई भी लगावाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि नियेशालय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये टेंडर खोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्थीकृति उपरांत आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट लगावा दी जायेगी व जो लाइटें खराब हैं उनको ठीक करवाया जा रहा है। कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
79.	गांव अस्थल बोहर की सभी कच्ची गलियों को पक्का किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
80.	अस्थल बोहर प्याऊ के पास एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक

81.	गाव कन्हेती में अमृत योजना के तहत सीधेर व पानी की लाइन डालने के दौरान तोड़ी गई सभी गलियों का निर्माण किया जाए।	करने उपरांत फैलस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
82.	गाव कन्हेती में जिन गलियों में सीधेर व पानी की लाइन नहीं डाली गई है उनमें लाइन डिलवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को अमृत योजना के तहत सीधेर व पानी की लाइन डालते समय तोड़ी गई सड़कें एजेन्सी से टीक करवाने हेतु निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
83.	गाव कन्हेती में नालियों के ऊपर ढूटे हुए लोहे के जाल नए लगवाए जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चेक करने उपरांत फैलस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
84.	गाव कन्हेती में सभी नालों को ढकने का कार्य किया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को फैलस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
85.	गाव कन्हेती में तालाब में पानी भरने के लिए जल घर से पानी की पाइप लाइन डाली जावे।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चेक करने उपरांत फैलस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
86.	गाव कन्हेती में 4-5 डायरी हैं उनके द्वारा नालों में गोवर बढ़ाया जा रहा है उन्हें बन्द किया जाए।	इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने वारे निर्देश दिए गए। मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
87.	गाव कन्हेती में नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि निवेशलय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये टैंडर खोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्वीकृति उपरांत आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट लगावा दी जायेंगी। कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
88.	गाव कन्हेती में चोपाल की रिपेयर करवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण करने उपरांत फैलस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
89.	वर्ड नं0 10 फैलस आलोंना के सीधेर लाइन का रिपेयर पल्लिक हैल्थ विभाग द्वारा किया जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्यपाही करने वारे निर्देश दिए गए। अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

90.	फैन्डस कॉलोनी में नई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि निदेशालय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये टैंडर खोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्वीकृति उपरांत आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट लगवाई जायेगी। कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
91.	फैन्डस कॉलोनी में जितनी भी गलियां कच्ची हैं उनको पक्का करवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
92.	फैन्डस कॉलोनी में अमृत योजना के तहत जिन गलियों में सीधर व पानी की लाइन नहीं डाली गई है उनमें लाइन डलवाई जाए।	इस बारे अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
93.	गांव गढ़ी माजरा, टैगोर कॉलोनी वार्ड नं० 10 में अमृत योजना के तहत सीधर व पानी की लाइन चुट एरिया में नहीं डाली गई वहां लाइन डाली जावे और जहा लाइन डाल ली गई है वहां पर लाइन डालने के दौरान दूरी हुई गलियों का निर्माण करवाया जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को अमृत योजना के तहत सीधर व पानी की लाइन डालते समय तोड़ी गई गलिया एजेन्सी से ठीक करवाने हेतु निर्देश दिये गए। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
94.	गांव गढ़ी माजरा, टैगोर कॉलोनी वार्ड नं० 10 में नई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि निदेशालय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये टैंडर खोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्वीकृति उपरांत आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट लगवाई जायेगी। कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
95.	गांव गढ़ी माजरा, टैगोर कॉलोनी वार्ड नं० 10 में जितनी भी नालियों के जाल ढूटे हुए हैं वहां पर नए जाल लगवाए जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
96.	गांव गढ़ी माजरा में एस सी. चौपाल का निर्माण किया जाए व चौपाल की जगीन से कब्जा हटवाकर चारदीवारी की जाए।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त चौपाल की जगीन से कब्जा हटवाने वारे भू-अधिकारी नगर निगम रोहतक को निर्देश दिये गये। कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
97.	गांव गढ़ी माजरा में जितनी गलियां कच्ची हैं उनको पक्का किया जावे।	इस बारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
98.	पहरगढ़ गौशाला के पांछे शमशान घाट की पैमाइश कराई जावे और अवैध कब्जे हटवाए जाएं।	इस बारे संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक को पैमाइश करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही

		अमल में लाते हुए अवैध कठबा हटवाने वारे विश्व-निर्देश दिए गए। संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
99.	गाव पहरवार के एस0सी0 समुदाय के शमशान घाट का समाधान किया जाए।	इस वारे भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार आवश्यक कार्यदारी अमल में लाने के निर्देश दिए गए। भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
100.	गाव पहरवार में अमृत योजना के तहत गलियों में सीवर व पानी की लाइन नहीं डाली गई हैं उनमें लाइन डलवाई जावे।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्यविभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
101.	गाव पहरवार में अमृत योजना के तहत सीवर व पानी की लाइन डालते समय तोड़ी गई सभी गलियों का पुनः निर्माण किया जावे।	इस वारे अधीक्षक अभियन्ता नगर निगम रोहतक को अमृत योजना के तहत सीवर व पानी की लाइन डालते समय तोड़ी गई गलिया एजेन्सी से टीक करवाने हेतु निर्देश दिये गए। कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
102.	गाव पहरवार की सभी चौपाल की रिपेयरिंग की जावे और एस0सी0 चौपाल का नया निर्माण किया जावे।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम रोहतक को मौका निरीकण कर Feasibility चेक करने उपरात फड़स की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
103.	गाव पहरवार में नई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम द्वारा अवगत करवाया गया कि निदेशालय स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु लगाये गये टैंडर खोले जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्वीकृति उपरात आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट लगवा दी जायेगी। कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
वार्द्ध नं० 16		
104.	झञ्जर रोड का नाम भगवान महार्वीर मार्ग रखा जाये।	इस वारे सदन को अवगत करवाया गया कि झञ्जर रोड पर पूर्व में भगवान महार्वीर के नाम का पथर लगा हुआ था जो कि वर्तमान में नहीं है अतः झञ्जर रोड पर भगवान महार्वीर के नाम का पुनः बोड़ लगावाने वारे निर्देश दिये गये। कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
105.	नगर निगम, रोहतक में मैन पावर एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सहायक सफाई निरीक्षकों को पै-गोल पर करने वारे।	इस वारे सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम, रोहतक में मैन पावर एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सहायक सफाई निरीक्षकों को पै-रोल पर करने वारे सरकार को केस भिजवाने के निर्देश दिये। कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
106.	जनता कालोनी स्थित शहीद नवीन वशिष्ठ के घर के सामने बने पार्क का नाम शहीद नवीन वशिष्ठ रखने वारे।	सर्वसम्पत्ति से स्वीकृत किया गया। कार्यकारी अभियन्ता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
107.	जनता कालोनी स्थित अग्रसेन पार्क के पास कार्फा वडा पौपल का पेड है जिसकी दफनिया विजली	इस वारे कार्यकारी अभियन्ता उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम रोहतक को उचित/आगामी कार्रवाई हेतु निर्देश दिये।

	की तारी से टकराती रहती है अतः पेड की टहनियों की छटनी करवाई जाये।	कार्यकारी अभियन्ता, उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
वार्ड नं० 18		
108.	वार्ड नं० 18 पालिका कालोनी में नगर निगम की जमीन पर सामुदायिक केन्द्र बनवाया जाये।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
109.	उपमहापौर महोदय ने कहा कि वार्ड नं० 18 पालिका कालोनी में रेती रोडी वालों ने कब्जा किया हुआ है वहां से कब्जा हटवाया जाये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार अवैध कब्जा हटवाने वारे दिशा-निर्देश दिए गए। संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
वार्ड नं० 22		
110.	वार्ड नं० 22 के गांव सुनारियां कला में खेल स्टेडियम बनवाया जाए।	इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
111.	गांव सुनारिया में मनपाहा वाला जोहड़ पर पार्क में ट्रैक बनवाया जाए और झूले लगवाएं जाएं।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस वारे कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
112.	वार्ड नं० 22 में बहुत सारी कच्ची गलियां हैं उन्हें पक्का करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
113.	गांव सुनारिया कला में शिव मन्दिर के पास नगर निगम द्वारा जो पार्क और ट्रैक बनवाया जा रहा था उसका साग काम अवूगा है उसको पूरा करवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
114.	सुनारिया कला में गतनपुरी कालोनी के गास्टे में दो-तीन फुट पानी हमेशा भरा रहता है इसकी नियन्त्रणी के लिए नाले का निर्माण किया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर Feasibility चैक करने उपरांत फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
115.	सुनारिया कला में महतान पाना की चौपाल जो 2014 में उखाड़ रखी है उसको बनवाया जाए।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर फंडस की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये।
116.	गांव सुनारियां में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया जाये।	कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार फंडस



की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही के निर्दश दिये।  
कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।

बैठक के अंत में महापौर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे जनप्रतिनिधियों को सम्मान देवें व उन द्वाग बताये गये कार्यों को प्रार्थनारूप देवें।  
तदोपरात अच्युत महादेव द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

#### ऋग्रेजन MCR/Mayor/2022/ ७३४ - ५१

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 डा० अनंविद शर्मा, माननीय सासद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
- 2 श्री भूमेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय विधानसभा सदस्य, गढ़ी सांप्ला किलोई।
- 3 श्रीनाथ शकुन्तला खट्क, माननीय विधानसभा सदस्य, कलानीर।
- 4 श्री भगवन मृषण वत्तरा, माननीय विधानसभा सदस्य, रोहतक।

महापौर,  
नगर निगम, रोहतक।  
दिनांक ३/२/२०२२

#### ऋग्रेजन MCR/Mayor/2022/ ७४२ - ५३

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को स्वीकृति हेतु प्रेषित है:-

- 1 अदिरिच्छत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
- 2 निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पचकूला।

महापौर,  
नगर निगम, रोहतक।  
दिनांक ३/२/२०२२

#### ऋग्रेजन MCR/Mayor/2022/ ७४४ - ५६

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 आयुक्त रोहतक मडल, रोहतक।
- 2 प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. उपायुक्ता, रोहतक।
- 4 पुलिस अधीक्षक, रोहतक।
5. अर्योक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियानिका विभाग रोहतक।
- 6 अर्योक्षक अभियंता, लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग) विभाग रोहतक।

महापौर,  
नगर निगम, रोहतक।  
दिनांक ३/२/२०२२

7. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
8. अधीक्षक अभियंता, सिंचाई विभाग, रोहतक।
9. सिविल सर्जन, रोहतक।
10. सयुक्त निदेशक, IDC, Rohtak.
11. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
12. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
13. निजी सहायक आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।



महापौर,  
नगर निगम, रोहतक।